

ANNUAL REPORT 2014-2015



NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

विषय सूची

निदेशक बोर्ड	1
निदेशकों का रिपोर्ट	3-21
वार्षिक लेखा	23-39
लेखा परीक्षक का रिपोर्ट	41—49
सचिवालय लेखा परीक्षक का रिपोर्ट	51—55
सांविधिक लेखा परीक्षक	57-58

एम / एस सारिया गुप्ता —कम्पनी चार्टर्ड अकाउंटेंट नई दिल्ली एसपीजे — क., कम्पनी सचिव सचिवालय का लेखा परीक्षक, नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालयः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना परिषद, कोर—IV B,प्रथम तल, इंडिया हैबिटेट सेन्टर, लोडी रोड, नई दिल्ली 110003 दूरभाष संख्याः 011—24642285 सीआईएन नं. U60200DL2013GOI256716

\sim	nte	nta
UU.	ше	IIIS

Board of Directors	2
Director's Report	4-22
Annual Accounts	24-40
Auditor's Report	42-50
Secretarial Audit Report	52-56
Comments by CAG	57-58

Statutory Auditors
M/s Saria Gupta &Co.
Chartered Accountants
New Delhi

S P J & Co., Company Secretaries Secretarial Auditors, New Delhi

Registered Office:
National Capital Region Transport Corporation Limited
National Capital Region Planning Board, Core-IV B, First Floor,India Habitat Centre, Lodhi Road,New Delhi
110003
Phone No.-011-24642285
CIN NO. U60200DL2013GOI256716

श्री मधुसूदन प्रसाद	निदेशक बोर्ड अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एवं सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली—110011.
श्री केवल कुमार शर्मा	निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एवं मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली—110002.
श्री बिजय कुमार त्रिपाठी	निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एवं सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, इंडिया हैबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली—110003.
श्री डीएस मिश्रा	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एवं अपर सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली—110011.
श्री सीएस राजन	निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एवं मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
श्री दिपेन्दर सिंह धेसी	निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एवं मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
श्री रविन्दर नाथ खात्रावथ	निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एवं परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार
श्री केके अग्रवाल	निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, कार्यकारी निदेशक, निर्माणध्योजना, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

Board of Directors

Shri Madhusudan Prasad Chairman, NCRTC Ltd. & Secretary (UD), MoUD

Nirman Bhawan, New Delhi-110011.

Director, NCRTC Ltd. & Chief Secretary, GNCTD, New Delhi-110002. Shri Kewal Kumar Sharma

Director, NCRTC Ltd. & Member Secretary, Sh. Bijay Kumar Tripathi

National Capital Region Planning Board, India Habitat Centre, New DELHI-110003.

Shri D. S Mishra Managing Director, NCRTC Ltd. & Additional Secretary (UT),

MoUD, Nirman Bhawan New Delhi- 110011.

Director, NCRTC Ltd. & Chief Secretary, Govt. of Rajasthan. Sh. C. S. Rajan

Shri Deepender Singh Dhesi Director NCRTC Ltd. & Chief Secretary, Govt.

Of Haryana.

Shri Ravinder Nath

Khatravath Director NCRTC Ltd., Transport Commissioner, Govt. Of

Uttar Pradesh

Director NCRTC Ltd., Executive Director, Shri K.K. Aggarwal

Works/Planning, Ministry of Railways, Railway Board.

निदेशकों का रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

नई दिल्ली

आपके निदेशक को 31 मार्च 2015 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए, लेखा परीक्षित वित्तीय खातों के विवरण और नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की समीक्षा के साथ—साथ कंपनी की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट और अन्य निर्धारित ब्यौरे को प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय निष्पादन

आपके निगम ने अभी तक व्यवसाय की घोषणा नहीं की है। 31 मार्च 2015 को खत्म होने वाले इस वित्त वर्ष की उपलब्धि इस प्रकार है:—

विवरण राशि (रु. में) सावधि जमा पर ब्याज से होने वाली आय 5,05,36,982 लागत (पुर्व समावेश सहित अनुपातिक व्यय) 96,765 कर पूर्व लाभ 5,04,40,217

यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह लाभ केवल अधिशेष फण्ड के निवेश पर प्राप्त ब्याज से है, न कि निगम के संचालन से।

साथ ही साथ, लागू होने वाले प्रावधानों के मुताबिक उपरोक्त आय को अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के रुप में माना जा रहा है, और उसमें से जैसे लेखा परीक्षकों का शुल्क और सांविधिक शुल्क आदि के हिसाब से अनिवार्य व्यय में से कटौती की गई है। सदस्यों द्वारा इसी हिसाब से गौर किया जा सकता है। पूँजी की संरचना

समीक्षाधीन अविध के दौरान, निगम अपने प्रदत्त पूँजी को 5.50 लाख रु. से बढ़ाकर 72.50 करोड़ रु. किया है।, जिसने किश्तों में सदस्यता का भुगतान किया था उन आरंभिक काल के कुछ हितधारकों को छोड़कर, हितधारकों ने उनके द्वारा किये गये भुगतान को स्वीकार किया था। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख को निगम ने 100 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी का उपार्जन कर लिया है।

इसके साथ, सभी हितधारकों को उनका यथोचित हिस्सा को चूका दिया था और इसके साथ हितधारकों का प्रतिशत शेयरधारकों के मौजूदा सीमा का उल्लेख नीचे दिया गया है।

			(राशि त	गख रु में)
	%	कुल	प्राप्त	देय
		राशि	राशि	राशि
केन्द्र सरकार शहरी विकास मंत्रालय	22.50	2250.00	2250.00	
रेल मंत्रालय	22.50	2250.00	2250.00	
	5			



DIRECTORS' REPORT

To The Shareholders National Capital Region Transport Corporation Limited New Delhi

Your Directors have pleasure in presenting 2nd Annual Report of the Company together with the Audited financial statements of accounts and comments of Comptroller and Auditor General of India thereon for the financial year ended 31st March, 2015and other prescribed particulars.

FINANCIAL PERFORMANCE

Your Corporation is yet to Commence Business. Its financial performance for the Year ended 31st March 2015 is as under :

Particulars Amount (in Rs.)
Income from Interest on Fixed Deposit 5,05,36,982
Expenditure (including proportionate pre-incorporation expenses) 96,765
Profit before Tax 5,04,40,217

It is pertinent to mention here that the income is from interest on investment of surplus funds only and not from operations of the Corporation.

Furthermore, In terms of applicable provisions said income is being treated as Income from other sources and accordingly certain expenses like Auditors Fee and Statutory Fee etc. has been deducted therefrom. Members may consider same accordingly.

CAPITAL STRUCTURE

During the period under review, the Corporation raised its paid up capital from Rs. 5.50 lakhs to Rs. 72.50 Crores. Stakeholders had paid money acknowledged by them at the time of inception barring few stakeholders who had paid subscription in tranches. As on date of submission of this report the paid up capital of Corporation stands achieved to Rs. 100.00 Crores.

With this, all the stakeholders had tendered their respective share and accordingly the present extent of shareholding alongwith stakeholder percentage is stated as hereunder:

	%	Total Amount	(Amount Rs. in Amount Received	lakhs) Amount Due
Central Government				
Ministry of Urban Development	22.50	2250.00	2250.00	
Ministry of Railways	22.50	2250.00	2250.00	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5.00	500.00	500.00	_	
राज्य सरकार					
राज्य संस्कार					
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12.50	1250.00	1250.00	_	
हरियाणा	12.50	1250.00	1250.00	_	
राजस्थान	12.50	1250.00	1250.00	_	
(101(911	12.50	1230.00	1230.00		
उत्तर प्रदेश	12.50	1250.00	1250.00	_	

वित्तिय विशेषताएँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने ब्याज युक्त साधन जैसे साविध जमा में जमा निष्क्रिय निधि से राजस्व उपार्जित किया है। उदहारण के लिए अन्य स्नोतों से कुल उपार्जित आय लगभग 5.05 करोड़ रुपया था। इसी अविध में कम्पनी के पंजीयक को दिया गया सांविधक शुल्क और सनदी लेखापरीक्षक को दिया गया शुल्क कुल व्यय में शामिल है। इसके अतिरिक्त, कर प्रदान करने के बाद, शुद्ध लाभ 3.40 करोड़ रुपया था। लामांश

निगम अपना व्यापार शुरु करने के लिए अभी तक वर्ष 2014—15 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

सामान्य आरक्षित विनियोग

निगम अपना व्यापार शुरु करने के लिए अभी तक वर्ष 2014—15 हेतू सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित करने के लिए किसी राशि की सिफारिश नहीं की है।

भावी संभावना और परियोजना की स्थिति

देश में शहरी परिवहन मॉडल को सुधारने के लिए बुनियादी ढ़ाँचे पर खर्चा बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता बहुत जरुरी है। जहाँ आपकी कम्पनी मुख्य स्रोत के रुप में काम करेगी उसमें बुनियादी ढ़ाँचे में सुधार शामिल होगा।

निगम की ओर से शुरू की गई परियोजना में प्रयाप्त कौशल की विवेचना अभीष्ट है, इसीलिए आपका बोर्ड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) से संबंधित अपूर्ण पूर्ववर्ती कार्य के बारे में समस्या की खोज करता है और संबंधित सलाहकार से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) दिल्ली पानीपत (प्राप्त करने की तारीख 28.11.2014) और दिल्ली मेरठ (प्राप्त करने की तारीख 03.12.2014) के लिए उस मसौदे पर परियोजना के विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) से प्राप्त गितरोध पर हल प्राप्त करता है।माननीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के बीच निर्माण की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति (सीओई) का गठन किया था और राष्ट्रीय राजमार्ग—58 के रास्ते के अधिकार (आरओडब्लू) के अन्तर्गत इस के बाद आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सदस्य इसके आगे ध्यान दे सकते हैं कि 23.04.2015 को आयोजित अपने बैठक में परामर्श कार्य समीक्षा समिति (सीआरसी) ६ उप—समिति द्वारा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) पर टास्क फोर्स को अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड 22.07.2015 को

National Capital Region Planning Board Board	5.00	500.00	500.00	
State Governments				
National Capital Territory of Delhi	12.50	1250.00	1250.00	_
Haryana	12.50	1250.00	1250.00	-
Rajasthan	12.50	1250.00	1250.00	-
Uttar Pradesh	12.50	1250.00	1250.00	-

FINANCIAL HIGHLIGHTS

During the year under review, the Corporation earned revenue out of idle funds parked in interest bearing instruments i.e Fixed Deposits. Total income earned i.e Income from other Sources were Rs. 5.05 crores approx.. The total expenditure incurred in the same period was in form of Statutory Fees paid to Registrar of Companies and Statutory Auditors fee. Further, after providing for tax, there was a net profit of Rs. 3.40 crores.

DIVIDEND

As the Corporation is yet to commence its business, no dividend has recommended for year 2014-15.

APPROPRIATION TO GENERAL RESERVE

As the Corporation is yet to commence its business, no amount has recommended for transfer to General Reserve for the year 2014-15.

FUTURE OUTLOOK AND STATUS OF THE PROJECT

The Commitment to increase its spending on Infrastructure is the key to improve urban transport model in Country. This includes improvement in Infrastructure where your company shall act as a catalyst.

The project intended to be initiated by Corporation entails deliberation of adequate skills, hence your Board is pursuing the matter pertaining to initial preliminary work related to RRTs and are to state that draft of DPR's stands received for Delhi Panipat (date of receiving 28.11.2014) and Delhi Meerut (date of receiving 3.12.2014) RRT's from respective consultants.

Hon'ble MoUD had also constituted a Committee of Experts (COE) to examine the feasibility of construction of Delhi - Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS) Corridor on the median and within the Right of Way (RoW) of NH-58 for which necessary report thereupon stands submitted. Members may further note that Draft Detailed Project Report (DPR) for Delhi-Sonipat-Panipat RRTS Corridor was approved by the Consultancy Review Committee (CRC) / Sub-committee to Task Force on RRTS in its meeting held on 23.04.2015. NCR Planning Board had also organized a workshop of the stakeholders for the purpose of seeking inputs on draft DPR of Delhi Panipat RRTS Corridor on 22.07.2015 which received overwhelming response.

दिल्ली—सोनीपत—पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के लिए परियोजना का विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) के मसौदे पर निवेश हासिल करने उद्देश्य से हितधारकों की एक कार्यशाला का आयोजन किया था। जिस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।

एक बार शुरु किये गये निगम के कार्यों को गति प्रदान की जाएगी और यह उम्मीद की जाती है कि परिवहन मॉडल किसी भी श्रेणी के कार्य को बिना किसी देरीधबलम्ब से बनाएगा।

सावधि जमा कम्पनी,

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (31), 73 और 74 के अर्न्तगत जनता से किसी प्रकार की जमा को आमंत्रित नहीं किया है।

कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन समीक्षाधीन अविध के दौरान निगम का कोई कर्मचारी नहीं था। हालांकि, चालू वित्त वर्ष 2015—16 के दौरान निगम के विभिन्न सचिवालयी स्वीकृति के लिए अंशकालिक सलाहकार की सेवाओं का उपयोग किया गया है।

लेखा परीक्षक

एमध्एस सारिया गुप्ता — कम्पनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट नर्न ि २०१५ और २०१५—२०१६ के लिए भारत के नियंत्रक — महालखा पराद्मक द्वारा सापाधक लखा पराद्मक ानयुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल आगामा पा... २०११ समाप्त हा जाएगा। वित्त वर्ष २०१४—२०१५ के लिए बोर्ड की ओर रा.. वारित पारिश्रमिक लागू सेवा कर मिलाकर २५०००६— रु. (पच्चीस हजार रुपये) था।

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखांकन के लिए सांवधिक लेखा परीक्षक का रिपोर्ट संलग्न है। कम्पनी अधिनियम 2013 का धारा 139 और 143 की शर्तों में बोर्ड से वित्तिय अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास भेजा जाएगा और तदनुसार उनकी टिप्पणी माँगी जाएगी। एक बार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी प्राप्त होने के बाद, निगम उसके अनुसार कार्य करेगी।

प्रबंधक लेखा परीक्षक की टिप्पणी का जबाब देती है, इसके अन्तर्गत प्रतिलिपि तैयार की जाती है: बोर्ड ने अनुसूचियों एवं अन्य संलग्नकों का भी अनुपालन किया है जैसे लेखांकन की टिप्पणी और आयकर की गणना। बोर्ड ने आकिस्मक देयताओं के लिए टिप्पणी ले लिया है जैसा कि इसके अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षक यानि एमध्एस सारिया गुप्ता — कम्पनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली द्वारा योग्यता के माध्यम से जोर देने का उल्लेख नहीं किया गया है:

लेखा परीक्षक का दावाः

आकस्मिक देयताओं के लिए टिप्पणी 12.1 के माध्यम सेः

अ) कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए विस्तृत रूप में शेयरों के आवंटन के

Once initiated the Corporation's activity shall assume pace and it is expected that the transport model shall be created without any further delay/hiccups of any nature.

FIXED DEPOSITS

The Company has not any invited deposits from Public under section 2(31), 73 and 74 of the Companies Act, 2013.

PERSONNELAND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

The Corporation did not have any employee during the period year under review. However, during the current financial year 2015-16 the services of a part time consultant has been availed for various Secretarial Compliances of the Corporation.

AUDITORS

M/s Saria Gupta and Co., Chartered Accountants, New Delhi have been appointed by the Office of The Comptroller & Auditor General of India (CAG) as Statutory Auditors of the Corporation for the financial year 2014-15 and 2015-16. Their tenure shall accordingly comes to an end on the conclusion of ensuing AGM i.e on 30.09.2015. The remuneration fixed by the Board for the financial year 2014-15 was Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) plus Service Tax as applicable.

The Statutory Auditors' Report on the Accounts of the Company for the financial year ended 31st March, 2015 is enclosed. In terms of Section 139 and 143 of the Companies Act, 2013, The financials after seeking approval of Board shall be sent to Comptroller & Auditor General of India and accordingly their comments shall be sought. Once comments of CAG stands received, the Corporation shall act

Management's replies to Comments in the Auditors Report, are reproduced as nereunder:

The Board also perused unc.

The Board also took note for Continge...

Julities stated as matter of emphasis not by way of qualification as stated by Statutory Auditors i.e M/s Saria Gupta & Co., Chartered Accountants, New Delhi as hereunder:

Auditors Contention:

Via Note 12.1 for contingent liabilities:

a) There exist a contingent liability in case penalty for non compliance of provisions of Companies Act, 2013 with respect to Share application money received in common account and non filing of Form PAS 3 in case of allotment of shares as detailed

मामले में सामान्य खाते और पीएस 3 फार्म नहीं भरने पर प्राप्त शेयर आवेदन राशि के संदर्भ में जुर्माना मामले में के आकरिमक देयताएँ विद्यमान है।

बोर्ड का जबाब :

अ का जबाब). निगम केन्द्र और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है और उसकी संरचना वैसे ही है। प्रत्येक अवसर पर अलग से खाता खोलना संभव नहीं है और जब भी भावी आबंटी से शेयर आवेदन की राशि प्राप्त करने की स्थिति आती है तो वह निगम की स्थापना की तारीख के सदस्य की तरह ही सदस्य होगा।

लेखा परीक्षक का दावाः

12.5 के टिप्पणी के माध्यम से :

- अ) कम्पनी ने शेयर आवंटन के लिए सदस्यता के रुप में 20.03.2015 को रेल मंत्रालय से 22,48,75,000६— की राशि प्राप्त किया है। कम्पनी ने अपने आईसीआईसीआई लिमिटेड में बनाए गए चालू खाते में इतनी ही राशि प्राप्त की है और कम्पनी अधिनियम 2013 द्वारा आवश्यक अलग बैंक खाते में नहीं प्राप्त किया है।
- ब) उक्त राशि का उपयोग जैसे कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 6 की धारा 42 में वर्णित उद्देश्य के अलावा आकलन वर्ष 2014—15 में 11.48 लाख रु. आयकर भुगतान किया है।
- स) कम्पनी के 09.04.15 के मिनट के हिसाब से कम्पनी ने रेल मंत्रालय को शेयर का आवंटन किया है। हालाँकि कम्पनी ने आज की तारीक तक पीएएस 3 फार्म नहीं भरा है।

बोर्ड का जबाबः

कृपया उल्लिखित बोर्ड के जबाब को देखें। इसके अलावा धारा 42 (6) के तहत कम्पनी प्राप्त आवेदन की राशि से 60 दिनों शेयर का आवंटन देने में असमर्थ रहने की स्थिति में शामिल किया है। निर्धारित अविध के भीतर आवंटित की राशि उक्त गिनती में शामिल नहीं है। एक बार आवंटित राशि को किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं, जब कम्पनी पूरी सदस्यता प्राप्त करने में असमर्थ हो, वहाँ केवल सावधानी बरतने की जरुरत है,

आवंटन करने के बाद और, पीएएस—3 फार्म दायर नहीं करने पर, निगम को संबंधित अधिकारियों से नामांकन की वापसी के फलस्वरूप अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की अनुपलब्धता जैसे तकनीकी मुद्दों का सामना करना पड़ता है। जिसे जल्दी ही संबोधित किया जाएगा।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी, अभियोग पर आधारित हो सकता है जो कि निदेशक के रिपोर्ट की परिशिष्ट के रुप में भी संलग्न रहेगा।

इसके अलावा, एम ६ एस सिरया गुप्ता और कंपनी के कार्यकाल के बाद से, आगामी वर्षों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए निगम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आगे के निर्देश की प्रतीक्षा करेगा। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

निगम एम ६ एस एसपीजे एंड कंपनी को सचिवीय लेखा परीक्षा का संचालन करने के लिए वित्त वर्ष 2014—15 के लिए कंपनी सचिव, नियुक्त किया है। । 31 मार्च 2015 को वित्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा

Boards reply:

Reply to a). The Corporation is a joint venture of Central and State Government and considering structure of same, it is not possible on each occasion to open separate bank account on each occasion as and when there arises a situation as to receiving share application money from prospective allottees who shall always be members similar to members as on date of inception of Corporation.

Auditors Contention:

Via note 12.5:

- b) The Company has received Rs. 22,48,75,000/- from Ministry of Railways on 20.03.2015 as subscription for allotment of shares. The Company has received same amount in its regular current account maintained with ICICI Bank Limited and same has not been received in a separate bank account as required by the Companies Act, 2013.
- c) That out of aforesaid amount the Company has utilised Rs. 11.48 lacs for the payment of Income Tax for the Assessment Year 2014-15 i.e for a purpose other than the purpose prescribed by sub section 6 of Section 42 of the Companies Act, 2013.
- d) That the Company has allotted the shares to Ministry of Railways on 09.04.2015 as per the minutes of Company dated 9.4.2015. However, the Company has not filed PAS 3 till date.

Boards reply:

Please refer boards reply as aforesaid. Furthermore Section 42 (6) covers situation when a Company is unable to allot Shares within 60 days from date of receipt of application money. The money received stands allotted within stipulated period, hence there is no contravention on said count. Once allotted, the money can be utilised for whatever purpose, since the prohibition only prevails, when the Company is unable to receive full subscription.

As to allotment done and PAS 3 not filed, the Corporation faced technical issues such as non availability of authorised signatories consequent upon withdrawal of nomination from concerned authorities. Same shall be addressed soon.

The Comments of CAG, as the case may be, shall also be enclosed as addendum to Directors' Report. Furthermore, since the tenure of M/s Saria Gupta and Co., shall come to an end the Corporation shall await further instructions of CAG for appointment of Statutory Auditors for ensuing years. Members shall be informed accordingly.

SECRETARIAL AUDIT REPORT

The Corporation appointed M/s. S P J & Co., Company Secretaries, to conduct Secretarial Audit for the financial year 2014-15. The Secretarial Audit Report for the financial year ended 31st March, 2015 is enclosed herewith (Annexure - I).

परीक्षा का रिपोर्ट यहाँ संलग्न है (संलग्नक -1)

विमर्श और सदस्यों की जानकारी के लिए के लिए वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से को कंपनी के सदस्यों को संबोधित सुसज्जित के लिए शामिल किया गया है। रिपोर्ट और उसका अन्तर्वस्तु आत्म व्याख्यात्मक है और किसी भी योग्यता ६ टिप्पणियों को शामिल नहीं करता है, इसलिए प्रबंधन को इसके बाद टिप्पणी करने के लिए कुछ भी नहीं है।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत समीक्षाधीन अविध के दौरान परिकित्पित कंपनी किसी भी तीसरे पक्ष के लिए किसी भी प्रकार के ऋण का प्रावधान नहीं किया है। कंपनी ने व्यापार के सामान्य नियम के तहत बैंक गारंटी के अलावा अन्य कोई गारंटी नहीं दी है।

संबंधित पक्ष के लेनदेन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी संबंधित पक्ष के लेनदेन नहीं का गई है।

आर्थिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता

कंपनी की वित्तीय स्थिति ऐसी बनी गई है कि किसी भी प्रकार का भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता प्रभावित नहीं करता है। आपका बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के कारण उत्पन्न प्रस्तावित प्रतिबद्धताओं के रूप में लागू नहीं था। इस तरह निगम के गतिविधि की पहल शून्य कर्मचारियों के तथ्य के साथ युग्मित नहीं किया गया है।

आपका बोर्ड सुनिश्चित करता है कि एक बार निगम में परिचालन शुरू होने पर, इस आशय का अनुपालन शुरू की जाएंगी। उपायों की दक्षता सिहत प्रभावकारिता आपकी कंपनी के आकार पर विचार करने के लिए पर्याप्त हैं। धारा 134 (3) (पी) ए के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान बोर्ड का बयान जिस तरीके को संकेतित करता है जिसमें बोर्ड के द्वारा औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के अपने स्वयं के प्रदर्शन को बनाता है और इसकी समितियों और व्यक्तिगत निर्देशक मौजूदा बोर्ड के नामित निदेशकों में केवल अपने हितधारकों के के शामिल किया है।

निगमित सामाजिक दायित्व

नगम की स्थापना अगस्त, 2013 में किया गया और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी(सीएसआर) की अवधारणा पर विचार किया गया था। पिछले वित्तीय वर्ष में कम्पनी ने । 5.00 करोड़ रुपये से अधिक लाभ कमाया है तो अगले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2: खर्च करना पड़ता है। निगम कंपनी होने के नाते वांछनीय है जैसे 31.03.2015 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में उपार्जित लाभ लगभग 5.00 करोड़, रुपये है। संवैधानिक रुप से लाभप्रदाता की कसौटी पर निगमित सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर समिति) का गठन करना कानून आवश्यक था। निगमित सामाजिक

The Audit report as furnished addressed to members of the Company comprises part of present Annual Report for consideration and information of members. The report and its contents are self explanatory and does not contain any qualification/observations, hence management has nothing to comment thereupon.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

The Company has not during the period under review, made any loans to any third party as envisaged under Section 186 of the Companies Act, 2013. The Company has not given any guarantees other than bank guarantees in the normal course of business.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

No Related Party transactions under section 188 of the Companies Act, 2013 have occurred during the period

MATERIAL CHANGE AND COMMITMENTS

There has been no such material changes and commitments which affecting the financial position of the company. Your Board is of the view that initiatives proposed and implemented out of commitments arising out of provisions of Companies Act, 2013 were not applicable as such in view of Corporation activity not been initiated coupled with fact of NIL employees as well.

Your Board confirms that once the operations in corporation are initiated the compliance to the effect shall be initiated. The efficiency including efficacy of measures are adequate considering size of your Company. Pursuant to provisions of Section 134 (3) (p) A statement indicating the manner in which formal annual evaluation has been made by the Board of its own performance and that of its committees and individual directors is also not required to be stated considering present Board comprising of Nominee Directors of its Stakeholders only.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Corporation was established in August, 2013 and considering concept of Corporate Social Responsibility (CSR) introduced under Companies Act, 2013 i.e Companies earning profit more than Rs. 5.00 Crore in last FY has to spend at least 2 % of average net profits of last 3 years on said activities.

The Corporation, being an eligible Company i.e earning profit beyond Rs. 5.00 crores in FY ended 31.03.2015, was required statutorily to constitute Corporate Social Responsibility Committee (CSR Committee) considering profitability criteria.

दायित्व के लिए जेब खर्च से संबंधित प्रावधानों को सख्ती से लागू नहीं करता है। क्योंकि कुल जमा राशि पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर उत्पन्न हो गया है। जैसा निगम को केवल 2 वित्त वर्षों में देखा गया है। शुरु होने के बाद खर्च करने की अवधारणा इस रुप में लागू नहीं होता है। इसके बाद प्रयोजन के लिए वहाँ कोई योग्यता नहीं है, निगमित सामाजिक दायित्व या समबद्ध कार्यकलाप की दिशा में कोई भी राशि खर्च नहीं किया गाया है।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

निगम को अभी भी अपना कारोबार शुरु करना है लेकिन समीक्षाधीन अविध में कारोबार शुरु नहीं कर सक है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अनुसार विस्तार के आधार पर प्रासंगिक नियमों के साथ शून्य पढ़ा जाना था और फलस्वरूप प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अर्जित विदेशी मुद्रा और व्यय

आय और व्यय से वर्ष भर में किसी प्रकार से विदेशी मुद्रा का उपार्जन नहीं किया है।

कर्मचारियों का विवरण

जैसे कि वहाँ निगम में कोई भी कर्मचारी नहीं था अतः कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 197 (12) के अन्तर्गत प्रतिवेदित किये गये अपेक्षित कर्मचारियों की श्रेणी के अन्तर्गत कर्मचारियों की गिरावट का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसे कम्पनी अधिनियम 2014 के नियम 5 (2) और 5 (3) के साथ कुछ भी विशेष अर्थ नहीं रखता है।

निगमित प्रशासन और जोखिम प्रबंधन

कुछ नहीं संचालन के बावजूद, निगम लगातार निगमित प्रशासन की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली को अपनाने की कोशिश करता है, जिससे कि इसके जोखिम प्रबंधन के साथ—साथ कार्य में पारदर्शिता, समाकलन और जबाबदेही को सुनिश्चित किया जाय। निगम के स्वग्रहित नीतियों के साथ सामूहिक प्रावधानों को जोखिम उठाने के मुताबिक पूरी तौर से चलाएगा और तब संचालन शुरु होता है।

निदेशकों की जिम्मेदारी बयान

आपका बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के फलस्वरूप प्रमाणित करता है कि (अ) वार्षिक लेखांकन तैयार करने में. लागू लेखांकन मानकों का महत्त्वपूर्ण उपक्रमों को मिलाकर उचित विवरण के साथ पालन किया गया था।

- (ब) निर्देशकों ने इस तरह के लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और किये गये निर्णय का उचित और विवेकपूर्ण का अनुमान है कि उस अवधि के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के लाभ और हानि की स्थिति की सही और निष्पक्ष अवलोकन दिया हैय
- (स) निर्देशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेखा अभिलेखों के रखरखाव का यथोचित और पर्याप्त ध्यान रखा थाय
- (स) निर्देशकों ने विकासमान कारोबार संस्थान के आधार पर वार्षिक लेखा को तैयार किया थाय और

<u> 15</u>

राशि
शा में
सका
नेख नेख
अर्थ
व्यम
गैर में
लेए

The provisions related to spending money for CSR are not strictly applicable, since amount has to be derived basing on average profit of last 3 years and as the Corporation has only seen 2 FY's post inception, the concept of spending is not applicable as such, henceforth there being no qualifying amount for the purpose, no amount has been spent towards CSR or allied activities.

ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

As Corporation could not Commence business in the period under review, the particulars pursuant to Section 134 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules were NIL and consequently not required to be furnished.

FORIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO

No foreign exchange earnings and outgo have occurred during the year.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

As there was no employee in the Corporation hence disclosure requirements for employees falling under category of employees required to be reported under Section 197 (12) of the Companies Act, 2013, read with Rules 5 (2) and 5 (3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 is NIL.

CORPORATE GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT

Irrespective of Nil operations, The Corporation consistently endeavors to adopt the best practices of Corporate Governance so as to ensure transparency, integrity and accountability in its functioning alongwith Risk Management. The provisions run coterminous with self assumed policies of the Corporation and shall be fully adhered to as and when the operations are initiated.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Board confirms consequent upon provisions of Section 134 of the Companies Act, 2013 that:

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

(द) निर्देशकों ने लागू सभी कानूनी के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यथोचित प्रणाली को तैयार कर लिया था और इस तरह की व्यवस्था का समुचित और प्रभावपूर्ण संचालन किया जा रहा था। वार्षिक विवरणी का सारांशः

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी नियम 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के 12 (1) के अनुसार आवश्यक एमजीटी—9 के वार्षिक विवरणी को इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया है।

संलग्नक-1

नियामकों द्वारा पारित सार्थक एवं आर्थिक आदेश

निगम को अभी भी अपना परिचालन शुरू करना है, फिर भी इस साल के दौरान भविष्य में कंपनी के विकासमान कारोबार संस्थान के परिचालन को प्रभावित करने के लिए नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनल द्वारा लिए कोई भी महत्वपूर्ण एवं मूर्त आदेश को पारित नहीं किया गया है। इसलिए इस गणना पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

अधिनियम, 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत प्रकटीकरण (रोकथाम, निषेध और निवारण)

निगम में कर्मचारी के बिना किसी प्रकार की गतिविधि को शुरू नहीं किया गया है, आपके बोर्ड के अनुसार उचित समय पर विभिन्न वैधानिक गैर वैधानिक प्रावधानों के लागू कर संज्ञान लेने का फैसला किया गया है, इसलिए इस गणना पर कुछ भी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए हस्तांतरित की गई राशिः

आपकी कंपनी का सात साल की अवधि में किसी प्रकार का अभुक्त या लावारिस धनराशि नहीं है। अगस्त, 2013 में निगम के निगमन की तारीख के प्रावधानों ध्यान में रखने के कारण लागू नहीं कर नहीं किया है। इसके बाद निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक धनराशि नहीं था।

धारा 134 (3) (घ) के अनुसार प्रमाणीकरण

आपका बोर्ड आगे बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल होने की पुष्टि करता है कि :

श्री एम प्रसाद अध्यक्ष
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा प्रबंध निदेशक
श्री बिजय कुमार त्रिपाठी निदेशक
श्री केके अग्रवाल निदेशक
श्री सीएस राजन निदेशक
श्री देपीन्दर सिंह धेसी निदेशक

(e) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ABSTRACT OF ANNUAL RETURN:

As required pursuant to section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 an extract of annual return in MGT 9 as a part of this Annual Report attached herewith as Annexure -1

SIGNIFICANT & MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS

The Corporation is yet to initiate its operations, yet it confirms that during the year no significant and material orders has been passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future. Hence there is nothing to be stated on this count.

DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Corporation has no employee as no activity has been initiated, your Board has accordingly decided to take cognizance of applicability of various statutory/non statutory provisions at appropriate time, hence nothing is required to be furnished on this count.

TRANSFER OF AMOUNTS TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND:

Your Company did not have any funds lying unpaid or unclaimed for a period of seven years, considering date of incorporation of Corporation being August, 2013 the provisions are therefore not applicable. Henceforth there were no funds which were required to be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF).

CONFIRMATION PURSUANT TO SECTION 134(3)(d)

Your Board further confirms that its board comprises of below stated persons:

Sh. M. Prasad	Chairman

Sh. Durga Shanker Mishra Managing Director

Sh. Bijay Kumar Tripathi Director Sh. K K Aggarwal Director Sh. C S Rajan Director

Sh. Depinder Singh Dhesi Director

Sh. K K Sharma Director Sh. K Ravinder Naik Director

श्री के रविन्दर नायक

निदेशक

आपका बोर्ड आगे इस बात की पुष्टि करता है कि :

बोर्ड गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों को सिम्मिलित करता है क्योंकि वे बेनामी हितधारकों से संबंधित है। इसके पश्चात कंपनी अधिनियम 2013 में अनुबद्ध विशेष जानकारीध्प्रकाशन आदि से संबंधित संपूर्णता एवं प्रासंगोचित विशेषज्ञता और अनुभव एवं अन्य उसी रुप में लागू नहीं होता है।

बोर्ड की बैठक

वर्ष भर में निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित तारीखों को बैठकें आयोजित की गई है।

11.08.2014, 11.12.2014.

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

अनुपालन तंत्र के हिस्से के रूप में, अपका बोर्ड दिखाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विभिन्न खुलासे और आवश्यक रूप रचनाओं का पालन किया जाएगा और तब निगम के संचालन शुरू किया जा रहा है, इसलिए इस गणना पर प्रस्तुत किए जाने की कोई भी नहीं है।

नियंत्रित कंपनी

आपके कंपनी का कोई भी सहायक कंपनी नहीं है।

नकदी प्रवाह का विश्लेषण

कम्पनी ने वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन के मानको के अनुसार तैयार किया है और उसका वार्षिक रिपोर्ट के अंश को लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट भी उसी रूप में तैयार किया गया है।

निदेशक और केएमपी

वर्ष 2014-2015 को दौरान निदेशकों के बीच निम्नलिखित परिवर्तन किये गयेरू

- अ. श्री मधुसूदन प्रसाद, सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय में 2 फरवरी को बोर्ड में शामिल हो गए, 2015 को श्री शंकर अग्रवाल, पूर्व सचिव (शहरी विकास), 4 अगस्त को बोर्ड में शामिल हो गए हैं, जो शहरी विकास मंत्रालय, 2014 उपाध्यक्ष डॉ सुधीर कृष्णा, पूर्व सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय।
- ब. श्री केके शर्मा, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बोर्ड उपाध्यक्ष श्री डीएम शामिल हो गए सपोलिया, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- स. श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय 11 मार्च को बोर्ड में शामिल हो गए, 2015 को जो श्री सी.के. खेतान, पूर्व संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), शहरी विकास मंत्रालय, उपाध्यक्ष श्री शामिल हो गए। संजीव कुमार लोहिया, पूर्व ओएसडी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) एवं

Your Board further confirms that:

The Board comprises of Non Executive and Independent Directors since they are nominee of concerned stakeholders, henceforth the particulars / disclosures etc. required as to integrity and relevant expertise and experience and other as stipulated in Companies Act, 2013 are not applicable as such.

BOARD MEETINGS

The Board of Directors meetings were held during the year on the following dates. 11.08.2014, 11.12.2014.

INTERNAL CONTROL SYSTEM & ITS ADEQUACY

As part of compliance mechanism, your Board is of the view that various disclosures and compositions as required under Companies Act, 2013 shall be adhered as and when the operations of Corporation are initiated, hence there is nothing to be furnished on this count.

SUBSIDIARIES

Your Company does not have any subsidiary.

CASH FLOW ANALYSIS

The financial statements were prepared by the Company in accordance with applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the same together with the Auditors Report thereof form part of the Annual Report.

DIRECTORS AND KMP

During the year 2014-15The following changes among the Directors took place during the year:

- a. Shri Madhusudan Prasad, Secretary (UD), MoUD joined the Board on 2nd February, 2015 vice Shri Shankar Aggarwal, former Secretary (UD), MoUD who joined the Board on 4th August, 2014 vice Dr. Sudhir Krishna, former Secretary (UD), MoUD.
- b. Shri K K Sharma, Chief Secretary, GNCTD joined the Board vice Shri D.M. Spolia, Chief Secretary, GNCTD.
- c. Shri Durga Shanker Mishra, Additional Secretary (UD), MoUD joined the Board on 11th March, 2015 vice Shri C.K. Khaitan, former Joint Secretary (UT), MoUD who joined vice Sh. Sanjeev Kumar Lohia, former OSD (UT)& Ex-Officio Joint Secretary, MoUD.

पदेन संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय।

- द. श्री विजय कुमार त्रिपाठी, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड बोर्ड उपाध्यक्ष श्रीमती शामिल हो गए। नैनी जयासीलन, पूर्व सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड।
- क. श्री क रविंदर नाइक, परिवहन आयुक्त यूपी श्री आलोक रंजन की एवज में बोर्ड में नामित किया गया है।

बोर्ड ने वैध रुप से हितधारकों के बीच विश्वास स्थापित किया है।

पावती

रिकॉर्ड पर बोर्ड ने, विभिन्न मंत्रालयों के लंबे सहयोग, भारत सरकार की एजेंसियों और विभागों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और एनसीआरपीबी के अमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन लिए खुले आम उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।

बोर्ड यह भी स्वीकार करता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सिचवीय लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षक, सलाहकार और तकनीकी विशेषज्ञों के निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए ईमानदारी से धन्यवाद व्यक्त करता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के लिए

अधोहस्ताक्षरी (मधुसूदन प्रसाद) अध्यक्ष

डीआईएन : 02665954

आवासीय पताः मकान संख्या ६–ए ६, सेक्टर ७,

चण्डीगढ़, 160019 दिनांकः 15.09.2015 सीीनः नई दिल्ली



- d. Shri Bijay Kumar Tripathi, Member Secretary, National Capital Region Planning Board joined the Board vice Smt. Naini Jayaseelan, former Member Secretary, National Capital Region Planning Board.
- e. Shri. K Ravinder Naik, Transport Commissioner UP has been nominated on Board in lieu of Sh. Alok Ranjan

The Board is validly constituted considering the understanding amongst stakeholders.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board place on record their gratitude for the invaluable guidance, continued co-operation and support extended by various Ministries, Departments and agencies of Govt. of India, Govt. of National Capital Territory of Delhi, Govt. of Haryana, Govt. of Rajasthan and Govt. of U.P. and NCRPB.

The Board also acknowledges and extends sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Secretarial Auditors, Statutory Auditors, consultants and technical experts for their continued support and cooperation.

For National Capital Region Transport Corporation Ltd.

Sd/-

(Madhusudan Prasad)

Chairman

DIN:02665954

Residential Address: House No 6-A/6, Sector 7,

Chandigarh, 160019

Date: 15.09.2015 Place: New Delhi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम 31 मार्च 2015 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए बैलेंस शीट

31 नाय 2015 का खरन हान पाल पेष के Iल	टिप्पणी	(रू. मे राशि) 31-03-2015 के रूप में	(रू. मे राशि) 31-03-2014 के रूप में
इक्विटी और देयताएँ			
<u>अंशधारी निधी</u>			
शेयर पूँजी	2	725,125,000.00	550,000.00
आरक्षित निधी एंव अधिवेश	3 _	33,844,305.00	(180,402.00)
	_	758,969,305.00	369,598.00
शेयर आवेदन की लंबित आंबटन राशि	4	224,875,000.00	559,575,000.00
<u>गैर मौजूदा देनदारियाँ</u> दीर्घकालीन प्रावधान	5	17,581,366.00	1,581,366.00
<u>मौजूदा देनदारियाँ</u> अन्य मौजूदा देनदारियाँ	6	50,972.00	22,472.00
ज व नाजूबा व विभारवा		242,507,338.00	561,178,838.00
कुल	_	1,001,476,643.00	561,548,436.00
<u>परिसम्पतियाँ</u>			
गैर मौजूदा परिसम्पतियाँ			
आस्थगित कर की परिसम्पतियाँ		1,246,520.00	1,662,030.00
वर्तमान परिसम्पतियाँ			
——— मौजूदा परिसम्पतियाँ	7	769,366,142.00	184,162,921.00
नकदी और बैंक बैलेंस	8	223,957,061.00	374,950,000.00
लघु अवधि ऋण एव अग्रिम	9	6,906,920.00	773,485.00
5		1,001,476,643.00	561,548,436.00
	_	1,001,476,643.00	561,548,436.00

टिप्पणी 1 से 12 इन वित्तिय विवरण का अभिन्न हिस्सा है। टिप्पणी के साथ वित्तिय विवरण का अभिन्न हिस्सा है। हमारे रिपोर्ट की शर्ते तारीख के साथ संलग्न है।

सारिया गुप्ता एंड कंपनी के लिए सनदी लेखाकार करने के लिए और बोर्ड की ओर से

एफ.आर. संख्या – 003168एन

सुमित गुप्ता दुर्गा शंकर मिश्रा बिजय कुमार त्रिपाठी (पार्टनर) (प्रबन्ध निदेशक) (निदेशक) सदस्यता संख्या 513321 DIN 02944212 DIN 02943220

 Date : 30.09.2015
 Date : 15.09.2015
 Date : 15.09.2015

 Place : New Delhi
 Place : New Delhi
 Place : New Delhi

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED Balance Sheet for the year ended on 31st March 2015

		(Amount in Rs.)	(Amount in Rs.)
	Notes	As at 31-03-2015	As at 31-03-2014
EQUITY AND LIABILITIES	Notes	31-03-2013	31-03-2014
Shareholders' funds			
Share capital	2	725,125,000.00	550,000.00
Reserves and Surplus	3	33,844,305.00	(180,402.00)
Teserves and surprus	- -	758,969,305.00	369,598.00
Share Application Money Pending Allotment	4	224,875,000.00	559,575,000.00
Non Current Liablities			
Long Term Provisions	5	17,581,366.00	1,581,366.00
Current liabilities			
Other Current Liabilities	6	50,972.00	22,472.00
	<u>_</u>	242,507,338.00	561,178,838.00
Total	=	1,001,476,643.00	561,548,436.00
ASSETS			
ASSETS Non-Current Assets			
Deferred tax Assets		1,246,520.00	1,662,030.00
Current assets			
Current Investments	7	769,366,142.00	184,162,921.00
Cash and bank balances	8	223,957,061.00	374,950,000.00
Short Term Loans and Advances	9	6,906,920.00	773,485.00
	_	1,001,476,643.00	561,548,436.00
	-	1,001,476,643.00	561,548,436.00
	=		-

Notes 1 to 12 form an integral part of these financial statements

The accompanying Notes are an integral part of the Financial Statements. In terms of our Report of even date attached.

FOR SARIA GUPTA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. NO. 003168N

Place: New Delhi

For and on behalf of the Board

Place: New Delhi

(SUMIT GUPTA)	Durga Shanker Mishra	Bijay Kumar Tripathi
(PARTNER)	DIN 02944212	DIN 02943220
M. NO. : 513321	(Managing Director)	(Director)
Date: 30.09.2015	Date: 15.09.2015	Date: 15.09.2015

Place: New Delhi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम 31 मार्च 2015 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए लाम और हानि विवरण

संचालन से प्राप्त राजस्व	टिप्पणी	(रू. मे राशि) 31-03-2015 के रूप में	(रू. मे राशि) 31-03-2014 के रूप में
संचालन से प्राप्त राजस्व संचालन से प्राप्त राजस्व			
	10	50,536,982.00	6,484,846.00
कुल राजस्व		50,536,982.00	6,484,846.00
<u>व्यय</u> <u>अन्य व्यय</u>	11	96,765.00	6,745,912.00
कुल व्यय		96,765.00	6,745,912.00
•		50 440 215 00	(2(1,0((,0))
<u>कर पूर्व लाभ</u> व्यय कर		50,440,217.00	(261,066.00)
वर्तमान कर		16,000,000.00	1,581,366.00
स्थगित कर		415,510.00	(1,662,030.00)
वर्ष भर का लाभ		34,024,707.00	(180,402.00)

इक्विटी प्रति शेयर आय आधारभूत

सारिया गुप्ता एंड कंपनी के लिए सनदी लेखाकार एफ.आर. संख्या — 003168एन करने के लिए और बोर्ड की ओर से

सुमित गुप्ता (पार्टनर) सदस्यता संख्या 513321 दुर्गा शंकर मिश्रा (प्रबन्ध निदेशक) बिजय कुमार त्रिपाठी

DIN 02944212

(निदेशक) DIN 02943220

Date: 30.09.2015 Place: New Delhi Date: 15.09.2015 Place: New Delhi

Date: 15.09.2015 Place: New Delhi

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED

Statement of Profit and Loss for the year ended on 31st March 2015

(Amount in Rs.)

(Amount in Rs.)

	Notes	As on 31-03-2015	As on 31-03-2014
Revenue from Opera	itions 10	50,536,982.00	6,484,846.00
Total Revenue		50,536,982.00	6,484,846.00
Expenses	_		5,101,0100
Other Expenses	11	96,765.00	6,745,912.00
Total Expenses	_	96,765.00	6,745,912.00
Profit Before Tax		50,440,217.00	(261,066.00)
Tax Expenses Current Tax		16,000,000.00	1,581,366.00
Deffered Tax Profit for the Year		415,510.00 34,024,707.00	(1,662,030.00) (180,402.00)

Earnings per equity share


Basic

FOR SARIA GUPTA & CO. CHARTERED ACCOUNANTS F.R. NO.

For and on behalf of the Board

(SUMIT GUPTA) (PARTNER)	Durga Shanker Mishra DIN 02944212	Bijay Kumar Tripathi DIN 02943220
M. NO.: 513321	(Managing Director)	(Director)
Date: 30.09.2015	Date: 15.09.2015	Date: 15.09.2015
Place: New Delhi	Place: New Delhi	Place: New Delhi

31 मार्च 2015 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणी		()(-)	/-	
		(रू. मे राशि)	•	मे राशि)
	31-03 संख्या	<u>3-2015</u> राशि	31-0 संख्या	<u>)3-2014</u> राशि
<u></u>	सख्या	राारा	सख्या	सारा
प्रति सैकड़ा (100) इक्विटी शेयर योग : वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (100 प्रति इक्विटी शेयर) प्रति सैकड़ा (100) इक्विटी शेयर ————————————————————————————————————	10,000,000	1,000,000,000	10,000,000	1,000,000,000
नात सकता (100) शववटा शवर	10,000,000	1,000,000,000	10,000,000	1,000,000,000
(ब) निर्गमित, अभिदत्त एंव आंशिक रूप से प्रदत्त प्रति सैकड़ा (100) इक्विटी शेयर	7,251,250	725,125,000.00	5,500	550,000.00
कुल निर्गमित, अभिदत्त एंव पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयर पूँजी	7,251,250	725,125,000.00	5,500	550,000.00
(अ) शुरूआत में और समीक्षाधीन अवधि के अंत मे बकाया शेयरों का समन्वय	31-03	3-2015	31-03-	-2014
_	संख्या	राशि	संख्या	<u>2014</u> राशि
अवधि की शुरूआत में	5,500	550,000		
निर्गमित् अविध के दौरान	7,245,750	724,575,000	5,500	550,000
अवधि के अंत में बकाया	7,251,250	725,125,000	5,500	550,000
(ब) 5प्रतिशत से अधिक शेयर धारक द्वारा रखा गया शेयर शेयर धारक का नाम				
		3-2015 राशि	31-03- संस्था	
शेयर धारक का नाम — शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से	31-03 संख्या	3-2015 राशि	31-03- संख्या	
शेयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा	संख्या 1,250		संख्या 1,250	राशि
शेयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा श्री संजीव कुमार लोहिया	संख्या 1,250 250	राशि 125,000 25,000	संख्या	राशि 125,00
शेयर धारक का नाम	संख्या 1,250	राशि 125,000	संख्या 1,250	राशि 125,00
शेयर धारक का नाम	संख्या 1,250 250	राशि 125,000 25,000	संख्या 1,250	राशि 125,00
शेयर धारक का नाम	संख्या 1,250 250	राशि 125,000 25,000	संख्या 1,250	राशि 125,00 25,00 -
शेयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा श्री संजीव कुमार लोहिया भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय के माध्यम से श्री अरूणेन्द्र कुमार	संख्या 1,250 250	राशि 125,000 25,000	संख्या 1,250 250	राशि 125,00 25,00 -
शेयर धारक का नाम	संख्या 1,250 250 1,748,500	राशि 125,000 25,000 174,850,000	संख्या 1,250 250	राशि 125,00 25,00 - 125,00
शेयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा श्री संजीव कुमार लोहिया भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय के माध्यम से श्री अरूणेन्द्र कुमार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से सुश्री नैनी जयासीलन सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपी	संख्या 1,250 250 1,748,500	राशि 125,000 25,000	संख्या 1,250 250	राशि 125,00 25,00 - 125,00
शेयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा श्री संजीव कुमार लोहिया भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय के माध्यम से श्री अरूणेन्द्र कुमार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से सुश्री नैनी जयासीलन सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपी राज्य सरकार	संख्या 1,250 250 1,748,500	125,000 25,000 174,850,000	संख्या 1,250 250	राशि 125,00 25,00 - 125,00
शेयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा श्री संजीव कुमार लोहिया भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय के माध्यम से श्री अरूणेन्द्र कुमार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से सुश्री नैनी जयासीलन सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से	संख्या 1,250 250 1,748,500 250 499,750	25,000 25,000 174,850,000 25,000 49,975,000	संख्या 1,250 250 1,250 250	राशि 125,00 25,00 - 125,00 25,00
शेयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा श्री संजीव कुमार लोहिया भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय के माध्यम से श्री अरूणेन्द्र कुमार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से सुश्री नैनी जयासीलन सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से श्री दीपक मोहन स्पोलिया	संख्या 1,250 250 1,748,500 बी) 499,750	25,000 174,850,000 25,000 174,850,000 25,000 49,975,000	संख्या 1,250 250	राशि 125,00 25,00 - 125,00 25,00
शेयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा श्री संजीव कुमार लोहिया भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय के माध्यम से श्री अरूणेन्द्र कुमार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से सुश्री नैनी जयासीलन सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से	संख्या 1,250 250 1,748,500 250 499,750	25,000 25,000 174,850,000 25,000 49,975,000	संख्या 1,250 250 1,250 250	-2014 राशि 125,000 25,000 - 125,000 - 62,500
शंयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा श्री संजीव कुमार लोहिया मारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय के माध्यम से श्री अरूणेन्द्र कुमार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से सुश्री नैनी जयासीलन सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से श्री दीपक मोहन स्पोलिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चीफ सैक्रेटरी हरियाणा सरकार के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार चौधरी	संख्या 1,250 250 1,748,500 बी) 499,750	25,000 174,850,000 25,000 174,850,000 25,000 49,975,000 62,500 124,937,500	संख्या 1,250 250 1,250 250	राशि 125,000 25,000 - 125,000 - 62,500
शंयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा श्री संजीव कुमार लोहिया भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय के माध्यम से श्री अरूणेन्द्र कुमार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से सुश्री नैनी जयासीलन सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से श्री दीपक मोहन स्पोलिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चीफ सैक्रेटरी हरियाणा सरकार के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार चौधरी हरियाणा के चीफ सैक्रेटरी	1,250 250 1,748,500 al) 499,750 625 1,249,375	25,000 174,850,000 25,000 174,850,000 25,000 49,975,000 62,500 124,937,500	संख्या 1,250 250 1,250 250	राशि 125,000 25,000 - 125,000 25,000
शंयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा श्री संजीव कुमार लोहिया भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय के माध्यम से श्री अरूणेन्द्र कुमार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से सुश्री नैनी जयासीलन सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से श्री दीपक मोहन स्पोलिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चीफ सैक्रेटरी हरियाणा सरकार के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार चौधरी हरियाणा के चीफ सैक्रेटरी राजस्थान सरकार के माध्यम से	1,250 250 1,748,500 250 1,748,500 499,750 625 1,249,375	25,000 174,850,000 25,000 174,850,000 25,000 49,975,000 62,500 124,937,500 124,937,500	संख्या 1,250 250 1,250 250 625	राशि 125,00 25,00 - 125,00 - 62,50 - 62,50
शंयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा श्री संजीव कुमार लोहिया भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय के माध्यम से श्री अरूणेन्द्र कुमार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से सुश्री नैनी जयासीलन सदस्य सिवव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से श्री दीपक मोहन स्पोलिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चीफ सैक्रेटरी हरियाणा सरकार के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार चौधरी हरियाणा के चीफ सैक्रेटरी राजस्थान सरकार के माध्यम से श्री सी के मैथ्यू	1,250 250 1,748,500 250 1,748,500 499,750 625 1,249,375 625 1,249,375	25,000 174,850,000 25,000 174,850,000 25,000 49,975,000 62,500 124,937,500 62,500 124,937,500 62,500	संख्या 1,250 250 1,250 250	25,000 25,000 25,000 25,000 - 62,500 -
शंयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा श्री संजीव कुमार लोहिया भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय के माध्यम से श्री अरूणेन्द्र कुमार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से सुश्री नैनी जयासीलन सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से श्री दीपक मोहन स्पोलिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चीफ सैक्रेटरी हरियाणा सरकार के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार चौधरी हरियाणा के चीफ सैक्रेटरी राजस्थान सरकार के माध्यम से	1,250 250 1,748,500 250 1,748,500 499,750 625 1,249,375	25,000 174,850,000 25,000 174,850,000 25,000 49,975,000 62,500 124,937,500 124,937,500	संख्या 1,250 250 1,250 250 625	25,000 25,000 25,000 25,000 - 62,500 -
शंयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा श्री संजीव कुमार लोहिया भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय के माध्यम से श्री अरूणेन्द्र कुमार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से सुश्री नैनी जयासीलन सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से श्री दीपक मोहन स्पोलिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चीफ सैक्रेटरी हरियाणा सरकार के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार चौधरी हरियाणा के चीफ सैक्रेटरी राजस्थान सरकार के माध्यम से श्री सी के मैथ्यू राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से श्री सदा कान्त	1,250 250 1,748,500 250 1,748,500 499,750 625 1,249,375 625 1,249,375 625	25,000 174,850,000 25,000 174,850,000 25,000 49,975,000 62,500 124,937,500 62,500 124,937,500 62,500 124,937,500	संख्या 1,250 250 1,250 250 625	राशि 125,000 25,000 - 125,000 - 62,500
शंयर धारक का नाम शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री सुधीर कृष्णा श्री संजीव कुमार लोहिया भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय के माध्यम से श्री अरूणेन्द्र कुमार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से सुश्री नैनी जयासीलन सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से श्री दीपक मोहन स्पोलिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चीफ सैक्रेटरी हरियाणा सरकार के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार चौधरी हरियाणा के चीफ सैक्रेटरी राजस्थान सरकार के माध्यम से श्री सी के मैथ्यू राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से	1,250 250 1,748,500 250 1,748,500 499,750 625 1,249,375 625 1,249,375	25,000 174,850,000 25,000 174,850,000 25,000 49,975,000 62,500 124,937,500 62,500 124,937,500	संख्या 1,250 250 1,250 250 625 625	125,00 25,00 25,00 - 125,00 - 62,50 - 62,50 -



NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED Notes to the financial statements for the year ended 31st March 2015

	31-03	3-2015	31-03-2014	
	Number	Amount	Number	Amount
2 Share capital				
(A) Authorised share capital				
Equity shares of Rs. 100 each	10,000,000	1,000,000,000	10,000,000	1,000,000,000
Add: Increased during the year (Equity shares of Rs. 100 each)	-	-	_	-
Equity shares of Rs. 100 each	10,000,000	1,000,000,000	10,000,000	1,000,000,000
(B) Issued, subscribed and Partial paid up				
Equity shares of `100 each	7,251,250	725,125,000.00	5,500	550,000.00
Total issued, subscribed and fully paid up share capital	7,251,250	725,125,000.00	5,500	550,000.00

a. reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at end of the reporting period

	31-0	3-2015	31-0	3-2014
	Number	Amount	Number	Amount
At the beginning of the period	5,500	550,000		
issued during the period	7,245,750	724,575,000	5,500	550,000
Outstanding at the end of the period	7,251,250	725,125,000	5,500	550,000

b. Shares held by each shareholder holding more than 5% shares

Name of shareholder

	31-0	31-03-2015		3-2014
	Number	Amount	Number	Amount
Ministry of Urban Development through				
Sh Sudhir Krishna	1,250	125,000	1,250	125,000
Sh Sanjeev Kumar Lohia	250	25,000	250	25,000
President of india	1,748,500	174,850,000		-
Minitry of Railway through				
Sh Arunendra Kumar			1,250	125,000
National Capital Region Planning Board through				
Ms. Naini Jayaseelan	250	25,000	250	25,000
Member Secretary, NCRPB	499,750	49,975,000		-
State Govt.				
Govt. of NCT of Delhi through				
Sh Deepak Mohan Spolia	625	62,500	625	62,500
Chief Secretary of NCT of Delhi	1,249,375	124,937,500		=
Govt of Haryana through				
Sh Pardeep Kumar Chaudhery	625	62,500	625	62,500
Chief Secretary of Haryana	1,249,375	124,937,500		-
Govt of Rajasthan through				
Sh. CK Mathew	625	62,500	625	62,500
Chief Secretary of Rajasthan	1,249,375	124,937,500		=
Govt of U.P through				
Sh. Sada Kant	625	62,500	625	62,500
Governor of U.P	1,249,375	124,937,500		<u> </u>
To	7,250,000	600,062,500	5,500	550,000

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम 31 मार्च 2015 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणी		
आरक्षित एंव अधिशेष 	31-03-2015	31-03-2014
लाभ और हानि के विवरण के लिए अधिशेष वित्तय विवरण के हिसाब बैलेंस	(180,402.00) 34,024,707.00	(180,402.00)
योग : वर्ष के लिए लाभ लाभ और हानि के विवरण के लिए निवल अधिशेष	33,844,305.00	(180,402.00)
प्रतिभूति प्रीमियम खाता	-	-
कुल आरक्षित एंव अधिशेष ————————————————————————————————————	33,844,305.00	(180,402.00)
31.03.2015 को आवंटन को शेयर आवेदन की लंबित रेल मंत्र	राशि Rs.	राशि Rs.
शहरी विकास मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	224,875,000.00	
राष्ट्राय राजधाना क्षेत्र याजना बार्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	-	9,850,000.00
हरियाणा सरकार	-	49,975,000.00
राजस्थान सरकार	-	124,937,500.00 124,937,500.00
उत्तर प्रदेश सरकार	-	124,937,500.00
	-	124,937,500.00
	224,875,000.00	559,575,000.00
गैर मौजूदा देयताएँ		
आय कर का प्रावधान (निर्धारण वर्ष 2015—16)	16,000,000.00	-
आय कर का प्रावधान (निर्धारण वर्ष 2014—15)	1,581,366.00	1,581,366.00
	17 591 266 00	1,581,366.00
	17,581,366.00	1,561,500.00
<u>अन्य मौजूदा देयताएँ</u> देय लेखा शुल्क	50,972.00	22,472.00
<u> </u>	50,972.00	22,472.00
मौजूदा निवेश व्यापार निवेश आईसीआईसीआई से सावधि जमा योजना (एफडीआर) से अर्जित ब्याज राशि सेन्ट्रल बैंक से सावधि जमा योजना (एफडीआर) से अर्जित ब्याज सहित राशि	188,676,386.00 580,689,756.00	178,326,560.00 5,836,361.00
	769,366,142.00	184,162,921.00
नकदी और बैंक बैलेंस नकदी और नकदी के समकक्ष नकद रूपया बैंक बैंलेस	-	
चालू खाते में 	223,957,061.00	374,950,000.00
	223,957,061.00	374,950,000.00
अल्पावधि ऋण और अग्रिम अल्पावधि		
जितन गुप्ता (प्रतिपूर्ती के लिए अग्रिम)	56,735.00	<u>-</u>
मुगतान आयकार (विश्लेषण वर्ष 2014—15) आयकर (सावधि जमा योजना एफडीआर पर टीडीएस)	1,796,485.00	648,485.00
	5,053,700.00	-
रेल मंत्रालय से प्राप्त शेयर सदस्यता शुल्क		125,000.00
- Talely a state are area gen	6,906,920.00	773,485.00

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED Notes to the financial statements for the year ended 31st March 2015

	21 02 2015	21 02 2014
3 Reserves and surplus Surplus in the statement of profit and loss	31-03-2015	31-03-2014
Balance as per last financial statements	(180,402.00)	-
Add: Profit for the year	34,024,707.00	(180,402.00)
Net Surplus in the statement of profit and loss	33,844,305.00	(180,402.00)
Securities Premium Account	-	-
Total Reserves and surplus	33,844,305.00	(180,402.00)
4 Share Application Money Pending for Allotment as		
31.03.2015 Ministry of Railways	Amount in Rs. 224,875,000.00	Amount in Rs.
Ministry of Urban Development	224,075,000.00	9,850,000.00
National Capital Region Planning Board	_	49,975,000.00
Govt Of NCT Delhi	<u>-</u>	124,937,500.00
Govt of NeT Delli Govt of Haryana	<u>-</u>	124,937,500.00
Govt of Halyana Govt of Rajasthan	-	
Govt of U.P	- -	124,937,500.00 124,937,500.00
dontol o.i.		
	224,875,000.00	559,575,000.00
5 N		
5 Non-current Liablities Provision For Income Tax (Assess. Year 2015-16)	16,000,000.00	_
Provision For Income Tax (Assess. Year 2014-15)	1,581,366.00	1,581,366.00
		-
	17,581,366.00	1,581,366.00
6 Other Current Liabilities	50.072.00	22 472 00
Audit Fees Payable	50,972.00	22,472.00
	50,972.00	22,472.00
7 Current Investments		
Trade investments		
FDR with ICICI Bank Ltd including interest accrued	188,676,386.00	178,326,560.00
FDR with Central Bank of India including interest accrued	580,689,756.00	5,836,361.00
	769,366,142.00	184,162,921.00
8 Cash and bank balances		
Cash and cash equivalents		
Cash on hand	-	
Balances with banks		
Balances with banks - in current accounts	223,957,061.00	374,950,000.00
	223,957,061.00 223,957,061.00	374,950,000.00 374,950,000.00
- in current accounts		
- in current accounts 9 Short Term Loans and Advances		
- in current accounts 9 Short Term Loans and Advances Short Term	223,957,061.00	
- in current accounts 9 Short Term Loans and Advances Short Term Jatin gupta (advane for reimbursement)	223,957,061.00 56,735.00	374,950,000.00
- in current accounts 9 Short Term Loans and Advances Short Term Jatin gupta (advane for reimbursement) Income tax paid (A.Y. 2014-15)	56,735.00 1,796,485.00	
- in current accounts 9 Short Term Loans and Advances Short Term Jatin gupta (advane for reimbursement)	223,957,061.00 56,735.00	374,950,000.00
- in current accounts 9 Short Term Loans and Advances Short Term Jatin gupta (advane for reimbursement) Income tax paid (A.Y. 2014-15)	56,735.00 1,796,485.00	374,950,000.00

<u>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम</u> 31 मार्च 2015 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणी

गानग्र	31-03-2015	31-03-2014
<u>राजस्व</u> संचालन से राजस्व	-	-
सावधि जमा योजना (एफ डी आर) पर ब्याज	50,536,982.00	6,484,846.00
संचालन से राजस्व (निवल)	50,536,982.00	6,484,846.00
<u>अन्य व्यय</u> लेखा परीक्षक के लिए भुगतान फाईल शुल्क प्रारंभिक व्यय	28,500.00 68,265.00	22,472.00 - 6,723,440.00
<u>-</u>	96,765.00	6,745,912.00

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED Notes to the financial statements for the year ended 31st March 2015

10 Revenue	31-03-2015	31-03-2014
Revenue from operations	-	-
FDR Interest	50,536,982.00	6,484,846.00
Revenue from operations (Net)	50,536,982.00	6,484,846.00
11 Other Expenses Payment to Auditor	28,500.00	22,472.00
Filing Fees	68,265.00	
Preliminary Expenses	-	6,723,440.00
	96,765.00	6,745,912.00

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED CORE IV B,, LODHI ROAD, NEW DELHI

(F.Y. 2014 -2015)

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (रु. में)

31 मार्च 2015 का समाप्त वेष के लिए नेकदा प्रवाह विवरण	(४. म)	
विवरण	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर एवं असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ (लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार)	5,04,40,217.00	(2,61,066.00)
गैर-नकदी / गैर-व्यापार मदों के लिए समायोजनः		
ब्याज प्राप्ति	(5,05,36,982.00)	(64,84,846.00)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	(96,765.00)	(67,45,912.00)
निम्नलिखित के लिए समायोजनः		
व्यापार प्राप्तियों में कमी (वृद्धि)		
देय व्यापार में वृद्धि (कमी)	28,500.00	22,472.00
मालसूचियों में कमी (वृद्धि) के लिए समायोजन		
अन्य वर्तमान दायित्वों के कमी (वृद्धि) के लिए समायोजन		
लघु अवधि ऋणों एवं अग्रिमों के वृद्धि / कमी	(61,33,435.00)	(7,73,485.00)
परिचालनों से अर्जित नकदी	(62,01,700.00)	(74,96,925.00)
असाधारण मदों से पूर्व परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(62,01,700.00)	(74,96,925.00)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)	(62,01,700.00)	(74,96,925.00)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह गैर वर्तमान निवेष क्रय/बिक्री		
वर्तमान निवेष क्रय / बिक्री	/F0 F2 02 221 00\	(10 41 62 021 00)
ब्याज प्राप्ति	(58,52,03,221.00)	(18,41,62,921.00) 64,84,846.00
अन्य पक्षों के साथ अग्रिम नकदी एवं ऋण	3,03,30,302.00	04,04,040.00
अन्य पक्षों के साथ अग्रिमों एवं ऋणों के पुर्नभुगतान से प्राप्त नकदी		
असाधारण मदों से पूर्व निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(53,46,66,239.00)	(17,76,78,075.00)
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी (ख)	(53,46,66,239.00)	(17,76,78,075.00)
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	(00,40,00,200.00)	(17,70,70,070.00)
लघु अवधि ऋणों में वृद्धि/पुर्नभुगतान		
दीर्घ अवधि ऋणों का पूर्नभ्गतान/वृद्धि		
ष्येयर पूंजी में वृद्धि / कमी	72,45,75,000.00	5,50,000.00
ष्ट्रेयर आवेदन राषि लंबित आवंटन में वृद्धि / कमी	(33,47,00,000.00)	55,95,75,000.00
षेयर अधिपत्रों के अधीन प्राप्त राषि में वृद्धि / कमी		
असाधारण मदों से पूर्व वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	38,98,75,000.00	56,01,25,000.00
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी (ग)	38,98,75,000.00	56,01,25,000.00
घ. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / कमी (क+ख+ग)	(15,09,92,939.00)	37,49,50,000.00
ङ अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	(37,49,50,000.00)	
च. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य	22,39,57,061.00	37,49,50,000.00
छ. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी (च-ङ)	(15,09,92,939.00)	37,49,50,000.00

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एकीकृत भाग हैं हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

Sd/-सुमित गुप्ता

कृते निदेशक मंडल की ओर से Sd/-

Sd/-डी. एस. मिश्रा



NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED CORE IV B,, LODHI ROAD, NEW DELHI

(F.Y. 2014 **-**2015)

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2015

₹ in rupees

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2015		₹ in rupees
PARTICULARS	31st March 2015	31st March 2014
A. Cash Flow From Operating Activities		
Net Profit before tax and extraordinary items(as per Statement	5,04,40,217.00	(2,61,066.00)
of Profit and Loss)	5,04,40,217.00	(2,01,000.00)
Adjustments for non cash/ non trade items:		
Interest received	(5,05,36,982.00)	(64,84,846.00)
Operating profits before Working Capital Changes	(96,765.00)	(67,45,912.00)
Adjusted For:		
Decrease (increase) in trade receivables		
Increase (decrease) in trade payables	28,500.00	22,472.00
Adjustments for decrease (increase) in inventories		
Adjustments for increase (decrease) in other current liabilities		
Increase/Decrease in Short Term Loans & Advances	(61,33,435.00)	(7,73,485.00)
Cash generated from Operations	(62,01,700.00)	(74,96,925.00)
Net cash flow from operating activities before extraordinary items	(62,01,700.00)	(74,96,925.00)
Net Cash flow from Operating Activities(A)	(62,01,700.00)	(74,96,925.00)
B. Cash Flow From Investing Activities	(02,01,700.00)	(1-1,00,020.00)
Non Current Investments purchased/Sold		
Current Investments purchased/sold	(58,52,03,221.00)	(18,41,62,921.00)
Interest Received	5,05,36,982.00	64,84,846.00
Cash advances and loans made to other parties	0,00,00,002.00	
Cash receipts from repayment of advances and loans made to		
other parties		
Net cash flow from investing activities before extraordinary		
items	(53,46,66,239.00)	(17,76,78,075.00)
Net Cash used in Investing Activities(B)	(53,46,66,239.00)	(17,76,78,075.00)
C. Cash Flow From Financing Activities		
Increase in/Repayment of Short term Borrowings		
Repayment/Increase of Long term borrowings		
Increase/decrease in share capital	72,45,75,000.00	5,50,000.00
Increase/decrease in share application money pending allotment	(33,47,00,000.00)	55,95,75,000.00
Increase/decrease in money received against share warrants		
Net cash flow from financing activities before extraordinary		
items	38,98,75,000.00	56,01,25,000.00
Net Cash used in Financing Activities(C)	38,98,75,000.00	56,01,25,000.00
D. Net increase/decrease in Cash & Cash Equivalents(A+B+C)	(15,09,92,939.00)	37,49,50,000.00
E. Cash & Cash Equivalents at Beginning of period	(37,49,50,000.00)	
F. Cash & Cash Equivalents at End of period	22,39,57,061.00	37,49,50,000.00
G. Net increase/decrease in Cash & Cash Equivalents(F-E)	(15,09,92,939.00)	37,49,50,000.00

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

Sd/-Sumit Gupta For and on behalf of the Board of Directors
Sd/D.S. Mishra

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम

31 मार्च 2015 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए बैलेंस शीट

संलग्न करने और 31 मार्च 2015 को बैलेंस शीट को हिस्सा बनाने और उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

- 1. सांकेतिक लेखांकन निति
- 1.1 वित्तिय विवरण को तैयार करने का आधार :--
- (1) वित्तिय विवरण परंपरागत लागत करार के अधीन और भारत में लागू मानक के अनुसार लाभकारी कारोबार वाला संस्थान के आधार पर तैयार किया जाता है
- (2) कंपनी, आम तौर पर लेखांकन के व्यापारिक प्रणाली का अनुसरण करता है और उपचय के आधार पर आय और व्यय का महत्वपूर्ण मर्दों को स्वीकार करता है।
- 1.2 अचल सम्पत्ति:—

अचल सम्पत्ति को लागत के कम मूल्यहास पर निर्दिष्ट किया जाता है।

- 1.3 मूल्यह्नास की विधि अचल सम्पति में मूल्यह्नास की दर पर लिखित मूल्य पद्धति और कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 2 में निर्दिष्ट तरीके से प्रावधान किया गया है।
- 1.4 वस्तु सुची का मूल्यांकन :--

वस्तु सुची का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

1.5 व्ययं का पूँजीकरण :--

सभी पूँजीगत व्यय को संबंधित पूँजीगत सम्पति के लिए आंबटित किया गया है।

1.6 निवेश का मूल्यांकन :--

निवेश लागत पर निर्दिष्ट किया गया है।

- 1.7 अनुसंधान एंव विकास व्यय का प्रतिपादन :— पूँजीगत प्रकृति से अनुसंधान एंव विकास व्यय को पूँजी में परिणत किया गया है और राजस्व प्रकृति जिसमें निर्दिष्ट वर्ष भर के लाभ और हानि के विवरण को प्रभारित किया है।
- 1.8 निर्माणाधीन अवधि के दौरान व्यय :— नई परियोजनाओं और मौजूदा सुविधाओं का प्रयाप्त विस्तार, पूँजीगत व्यय और वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा से पूर्व विशिष्ट ऋण के मामले में ब्याज को शामिल किया जाता है।

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED Notes to the financial statements for the year ended 31st March 2015

ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2015 AND STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED ON THAT DATE :-

1SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS:-

(I)The financial statements are prepared under the historical cost convention and on the basis of going concern in accordance with the applicable Accounting Standards in India.(ii)The company, generally follows the mercantile system of accounting and recognises significant items of income and expenditure on accrual basis.

1.2**FIXED ASSETS**:-

Fixed assets are stated at cost less depreciation.

1.3 METHOD OF DEPRECIATION:-

Depreciation on fixed assets has been provided on written down value method at the rates and in the manner specified in Schedule II to the Companies Act, 2013.

1.4<u>VALUATION OF INVENTORIES</u>:-

Inventories are valued at cost.

1.5 <u>CAPITALISATION OF EXPENSES</u>:-

All the capital expenses are allocated to concerned capital assets.

1.6 VALUATION OF INVESTMENTS:-

The Investment are stated at cost.

1.7TREATMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURE:-

Research and Development expenditure of capital nature are capitalized and those of revenue nature are charged to Statement of Profit & Loss in the year in which these are incurred.

1.8 EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION PERIOD:-

In case of new projects and substantial expansion of existing facilities, expenditure capitalized includes interest and financial cost on specific loan prior to commencement of commercial production.

1.9 आस्थगित राजस्व व्यय :--

समस्त आस्थिगित राजस्व व्यय को कम्पनी में लाभ की अविध में अर्जित लाभ और हानि के विवरण को निर्धारित किया गया है।

1.10 विदेशी मुद्राओं का परिवर्तन या रूपातरण :--

सम्पति और देनदारियों को बैलेंस शीट में नियत तारीख के विनिमय दर पर रूपान्तरीत किया जाता है।

1.11 सेवानिवृति लाभ का निरूपण :-

1. सेनानिवृति लाभ जैसे ग्रेच्यूटि, अवकाश का नकदीकरण आदि के संदर्भ में कर्मचारी को सेवानिवृति के समय देय है और

देयता को बीमांकिक आधार पर प्रदान किया जाएगा।

2. भुगतान के समय सेवानिवृति पर अवकाश नकदीकरण लाभ स्वीकार किया जाता है।

1.12 बैलेंस शीट के लिए अनुवर्ती कार्यक्रम का प्रकाशन :-

कम्पनी के कार्यप्रणाली पर आर्थिक प्रभाव को बैलेंस शीट के सभी प्रमुख अनुवर्ती कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार दर्शाया गया है।

1.13 पूर्वावधि मदों का निरूपण :--

पूर्विवधि से संबंधित शुद्ध मद यदि ऋण है तो लाभ और हानि के विवरण में घटाया जाता है और यदि जमा तो लाभ और हानि के विवरण में जोडा जाता है और उसे आय समझा जाता है।

1.14 पूर्ववर्ती व्यय का निरूपण :--

सभी पूर्ववर्ती एंव पूर्व समावेशित वर्तमान अमूर्त व्यय को वर्ष के दौरान लिखा जाता है जिसमें भारतीय सांविधिक लेखाकर

संस्थान द्वारा निर्गमित अमूर्त सम्पति के लिए एएस—26 द्वारा आवश्यकतानुसार विस्तार दिया गया है

1.15 प्रासंगिक देयताओं का निरूपण :--

खाते में बनाये गये उपयुक्त विवरणों के संदर्भ में आकस्मिक प्रकृति के देयताओं को छोडकर सभी ज्ञात देयताओं के खाते

के लिए तैयार किया जाता है।

1.16 आय और व्यय के मदों को संभूति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

- 1.17 लाभकारी कारोबार वाला संस्थान के खाते को तैयार करता है और कम्पनी द्वारा लेखांकन निति का लगातार अनुसरण किया जाता है।
- 12 टिप्पणी एव अन्य विवरण :-

12.1 आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं को विस्तार प्रदान नहीं किया जाता है:

सामान्य खाता द्वारा प्राप्त शेयर आवेदन राशि के संदर्भ में कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों में जुर्माना देने की स्थिति में आकस्मिक देयताओं को अस्वीकार करना शामिल है और इसका विस्तार फार्म पीएएस—3 को फाईल करने के लिए ईकाई 12.5 में शेयर आवंटन की स्थिति में विस्तार नीचे दिया गया है।

1.9DEFERRED REVENUE EXPENDITURE :-

All the deferred revenue expenditure are allocated to Statement of Profit & Loss in the period of benefit accrued to the company.

1.10CONVERSION OR TRANSLATION OF FOREIGN CURRENCIES:-

Assets and liabilities are translated at the exchange rate prevailing on the date of Balance sheet.

1.11TREATMENT OF RETIREMENT BENEFITS:-

(I)In respect of retirement benefits like Gratuity, Leave Encashment etc. payable to the employees at the time of retirement, liability will be provided on actuarial basis. (ii)Leave encashment benefit on retirement are recognised at the time of payment.

1.12DISCLOSURE OF EVENTS SUBSEQUENT TO THE BALANCE SHEET:

All the major events subsequent to Balance Sheet which have material effect on the working of the Company, have been disclosed wherever necessary.

1.13TREATMENT OF PRIOR PERIOD ITEMS:-

The net of items relating to prior period, if debit is debited to Statement of Profit & Loss and if credit, credited to Statement of Profit & Loss and treated as income.

1.14TREATMENT OF PRELIMINARY EXPENSES :-

All preliminary and pre-incorporation expenses being intangible is being written off completely during the year in which it is expended as required by AS-26 for intangible assets issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

1.15TREATMENT OF CONTINGENT LIABILITIES:-

All known liabilities are provided for in the accounts except liabilities that are of a contingent nature, in respect of which suitable disclosures are made in the accounts.

1.16RECOGNITION OF INCOME AND EXPENDITURE:-

Items of Income and Expenditure are recognised on accrual basis.

1.17GOING CONCERN:-

The firm has been preparing the accounts on going concern basis and all accounting policies are consistently followed by the company.

12NOTES AND OTHER DISCLOSURES:

12.1Contingent Liabilities

Contingent liabilities to the extent not provided for:

There exist a contingent liablilty in case penalty for non compliance of provisions of Companies Act, 2013 with respect to Share Application Money received in common account and non filing of Form PAS-3 in case of allotment of shares as detailed in Point 12.5 below.

12.2 कम्पनी पूर्ववर्ती व्यय के खाते में 16,62,030 रू. आस्थगित कर सम्पति की राशि को स्वीकार किया है। तदनुसार आस्थगित कर सम्पति की राशि 16,62,030 रू. 31.03.2015 के बैलेंस शीट के सम्पति के पक्ष में दिखाया गया है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने पूर्ववर्ती व्यय के खाते में आस्थगित कर सम्पति 4,15,510रू. को बदलने का दावा किया है।

12.3 31.03.2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आय कर का प्रावधान 1,60,00,000/-रू.

(पिछले साल 15,81,366 / –रू.) बनाया गया है।

12.4 संबंधित व्यक्ति का विवरण

संबधित व्यक्तियों को नाम व पद

1. मुख्य कार्मिक प्रबंधन

- अ) श्री मधुसूदन प्रसाद, अध्यक्ष
- ब) श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, प्रबंध निदेशक
- सं) श्री बिजय कुमार त्रिपाठी, निदेशक
- द) श्री केके अग्रवाल, निदेशक
- क) श्री सीएस राजन, निदेशक
- ख) श्री देपिंदर सिंह धेसी, निदेशक
- ग) श्री केके शर्मा, निदेशक
- घ) श्री के रविन्द्र, नायक

12.5 शेयर आवेदन की राशि

(अ) कम्पनी ने शेयर आवंटन के लिए सदस्यता के रूप में 20.03.2015 को रेल मंत्रालय से 22,48,75,000/-रू. प्राप्त किया है

कम्पनी उपरोक्त राशि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में बनाये गये चालू खाते में प्राप्त किया है और कम्पनी अधिनियम

2013 में आवश्यक पृथक खाते में नही प्राप्त किया है

(ब) 22.48 करोड़ रू. उपरोक्त राशि के अलावा, कम्पनी ने आकलन वर्ष 2014—15 के लिए आय कर भुगतान के लिए 11.48

लाख रू. का उपयोग किया है उदाहरण के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 42 की उपधारा 6 में वर्णित उदेश्यों

के अलावा उदेश्य है।

(स) कम्पनी 09.04.2015 को रेल मंत्रालय ने कम्पनी को दिनांकित 09.04.2015 प्रति मिनट के हिसाब से शेयर आवंटित किया

है। हालांकि कम्पनी ने अब तक पीएएस-3 फार्म नही भरा है।

7	

- The Company has recognised deferred tax assets amounting Rs.16,62,030/- on account of Preliminary Expenses. accordingly the deferred tax asset amounting Rs.16,62,030/- has been shown in the asset side of the Balance Sheet as on 31.03.2014. During the year, the company has reversed the deferred tax assets of Rs. 4,15,510/- on account of Preliminary Expenses claimed.
- Provision for Income tax amounting Rs. 1,60,00,000/- (Previous Year Rs.15,81,366/-).has been made during the year ended on 31.3.2015.
- 12.4 RELATED PARTY DISCLOSURE

 Name of the Related parties & Relationship
- i) Key Management Personnel
- a) MR. Madhusudan Prasad, Chairman
- b) MR. Durga Shanker Mishra, Managing Director
- c) Mr. Bijay Kumar Tripathi, Director
- d) Mr. K K Aggarwal, Director
- e) MR.C S Rajan, Director
- f) MR. Depinder Singh Dhesi, Director
- g) MR. K K Sharma, Director
- h) MR. K Ravindra Naik
- 12.5 Share Application Money
- (a) The company has received Rs. 22,48,75,000/- from Ministry of Railways on 20.03.2015 as subscription for allottment of shares. The company has received the said amount in its regular current account maintained with ICICI Bank Ltd., and the same has not been received in a separate bank account as required by the Companies Act, 2013.
- (b) That out of the aforesaid amount fo Rs.22.48 crores, the company has utilised Rs.11.48 lacs for the payment of Income tax for the Assessment year 2014-15 i.e. for a purpose other than the purposes prescribed by sub section 6 of Section 42 of the Companies Act 2013
- (c) That the company has allotted the shares to Ministry of Railways on 09.04.2015 as per the Minutes of Company dated 09.04.2015. However, the company has not filed PAS-3 till date.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वित्तिय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट, खत्म हुए वित्त वर्ष का लाभ और हानि का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना का सारांश समाविष्ट है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 134 (5) में इन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए घोषित विषयवस्तु के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी की सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की जानकारी सिहत कंपनी अधिनियम 2014 (लेखांकन) के नियम 7 के साथ की धारा 133 तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के साथ पढ़ा जाए। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव और धोखाधड़ी का पता लगाने और प्रतिकार करने और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए चयन और उचित लेखांकन नीतियों के आवेदनय निर्णय और उचित और विवेकपूर्ण अनुमान लगाना भी शामिल है। जो पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन रखरखाव के लिए उचित और विवेक पूर्ण है। क्योंकि लेखांकन रिकार्ड की प्रभावी ढ़ंग से संचालन किया गया था। जो वित्तिय विवरणों को तैयार करने और कार्यान्वयन करने के लिए प्रासंगिक है। यह सही और निष्पक्ष मत देने और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत बयान देने से मुक्त है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपने लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों को लेखांकन और लेखा मानकों एवं तथ्यों को लेखा में लिया है। जिसमें अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनाए गए लेखा परीक्षा का रिपोर्ट को शामिल करना आवश्यक है और उसके तहत नियम बनाए गये हैं।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अधिन वर्णित लेखा परिक्षा के मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षा तैयार किया है। जिन मानकों की आवश्यकता हुई है हमने नैतिक आवश्यकता और योजना के अनुरुप पालन किया है और लेखा परीक्षा का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि दोनों में से कौन सा वित्तिय विवरण तथ्य के गलत अनुमान से मुक्त है।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED, which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2015, the Statement of Profit and Loss for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 with respect to the preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting the frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

लेखा परीक्षा के वित्तीय विवरण में जमा रकम और प्रकट की हुई वस्तुओं के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल है। चयन प्रक्रिया वित्तीय विवरणों के गलत अनुमान से मुक्त जोखिमों के आकलन सहित लेखा परिक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है। उन जोखिम का आकलन करने में, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कम्पनी को उचित आंतरिक नियंत्रण का ध्यान रखता है जो लेखा परीक्षा को डिजाईन करने के क्रम में सही और निष्पक्ष राय देता है। जो परिस्थिति के अनुकूल है लेकिन जहाँ कम्पनी इस तरह के नियंत्रण के उद्देश्य से प्रभावशाली परिचालन लागत पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के स्थान पर राय अभिव्यक्त नहीं करता है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किये गये लेखांकन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमान की विश्वसनीयता के साथ—साथ वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का समग्र मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा की राय लेखा परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रदारा करता है।

सलाह

हमारी राय में और हमारी महत्वपूर्ण जानकारी और हमें लिए दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण का अधिनियम द्वारा आवश्यक तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी देता है और भारत में आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष राय देता है:

- () 31 मार्च 2015 को कम्पनी की स्थिति में बैलेंस शीट की वस्त्रिथिति
- (इ) उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ और हानि का विवरण:
- (ब) उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष में कम्पनी के नकद प्रवाह के लिए नकदी प्रवाह का विवरण अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट
- 1. अधिनियम की धारा 143, उपधारा (11) की शर्तों में भारतीय केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 के अनुबंध के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट आवश्यक तथ्यों का विवरण:
- 2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित के रूप में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- अ) हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे संज्ञान और विश्वास में जो भी आवश्यक था उन सभी जानकारी और स्पष्टीकरण को प्राप्त करने की हमने मांग की है।
- ब) हमारी राय में कानूनी रूप से जरूरी समुचित लेखा पुस्तिका में कंपनी द्वारा रखी गई उन खाते के बारे में हमारी जाँच दिखाई देती है
- स) खाता पुस्तिका के करार में बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और इस रिपोर्ट के साथ न क द प्रवाह का विवरण पेश किया गया हैं।

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give true and fair view, in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:


- (a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31stMarch2015;
- (b) In the case of the Statement of Profit and Loss, of the Profit of the Company for the year ended on that date:
- (c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows of the company for the year ended on that date.

 Report on other Legal and Regulatory Requirements
- 1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters Specified in paragraphs 3 and 4 of the Order,
- 2. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
- We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
- The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

- द) हमारी राय में, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक के अनुरूप को कंपनी अधिनियम 2014 (लेखा), के नियम 7 साथ पढ़ा जाय।
- क) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिया गया है, अधिनियम की धारा 164 (2) के शर्तों पर नियुक्त निदेशक को, 31 मार्च, 2015 को किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ।
- ख) हमारी राय और हमारे संज्ञान और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार हमने अन्य तथ्यों के संबंध में कम्पनियों के (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम 2014 को नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट में शामिल किया है।
- प. कम्पनी पर किसी भी प्रकार का कानूनी मामला लंबित नहीं है जिससे कि उसका वित्तिय प्रभाव पडेगा।
- पप. कंपनी के पास गौण अनुबंध सहित कोई भी दीर्ध अवधि के अनुबंध नहीं है जिससे कि निकट भविष्य में किसी तथ्य के लिए हानि हो।
- पपप. कंपनी द्वारा कोई भी राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक नहीं था।

सारिया गुप्ता — कं. के लिए सनदी लेखाकार (फर्म पंजीयन संख्या. रू 003168छ) ह0 / — सुमित गुप्ता पार्टनर (सदस्यता संख्या.: 513321)

सीान : नई दिल्ली दिनांक: 30-09-2015



- d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- e) On the basis of written representations received from the directors as on 31 March, 2015, taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March, 2015, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.
- f) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we report as under with respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014:
- i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position.
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivatives contracts for which there were any material foreseeable losses.
- iii. There were no amounts which required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund.

For Saria Gupta & Co Chartered Accountants (Firm Registration No. : 003168N)

sd/-

Sumit Gupta

Partner

(Membership No.: 513321)

Place: New Delhi Date: 30.09.2015

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए संलग्न 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के सदस्यों के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट में तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के तहत पैरा 1 में निर्दिष्ट है,

इस तरह की जांच के आधार पर, हमने समुचित विचार किया है और हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (प) कम्पनी के पास कोई भी अचल सम्पति नहीं है, इसलिए यह धारा लागू नहीं होता है। (पप) कंपनी वर्ष के दौरान किसी भी विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों को नहीं चलाया है इसलिए यह धारा लागू नहीं होता है।
- (पपप) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाये गये रिजस्टर में सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के संबंध में पार्टियों को शामिल किया है:
- () हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 189 के तहत संरक्षित रजिस्टर में कम्पनी ने किसी भी पक्ष को असुरक्षित ऋण देना मंजूर नहीं किया है।
- (पअ) हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी का आकार और उनका व्यवसायिक प्रकृति पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं के अनुरूप हैं। हमारे लेखा परीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण में हमें कोई भी बड़ी किमयों को दूर करने में विफलता देखने को नहीं मिला है
- (अ) हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष भर में कम्पनी ने किसी प्रकार का सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं किया है।
- (अप) जैसा कि हमें सूचित है, केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 148 के उपधारा (1) के तहत कम्पनी के गतिविधियों के संदर्भ में लागत अभिलेखों को निर्धारित नहीं किया गया है।

हमें करने के लिए सूचित के रूप में, केन्द्र सरकार (1) अधिनियम की धारा 148 के, कंपनी द्वारा किए गतिविधियों के संबंध में उपधारा के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

(अपप) सांविधिक देय राशि के संबंध में:

(अ) कम्पनी के रिकार्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने आमतौर पर निर्विवाद रुप से वैधानिक बकाया राशि, भविष्य निधि कोष, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), स्रोतों से आयकर की कटौती, स्रोतों से एकत्र आयकर, व्यवसायिक कर, बिक्री कर, यौगित मूल्य कर (वैट), स्वास्थ्य कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और लागू अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकाया आयकर की राशि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में नियमित रुप उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा कराया है।

Annexure to the Independent Auditors' Report

[Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the members of NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED on the accounts of the company for the year ended 31st March, 2015]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and Explanations given to us during the course of our audit, we report that:

- (i) The company does not have any fixed assets, hence this clause is not applicable.
- (ii) The company does not have any inventory during the year as the company has not carried on any manufacturing and trading activities, hence this clause is not applicable.
- (iii) In respect of loans, secured or unsecured, granted to the parties covered in register maintained under section 189 of the Companies Act 2013:
- (a) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any unsecured loans to any party, covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the company and the nature of its business. During the course of our Audit, we have not observed any continuing failure to correct major weaknesses in internal control.
- (v) In our opinion and according to the information and explanation given to us , the company has not accepted any public deposits during the year.
- (vi) As informed to us, the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under subsection (1) of Section 148 of the Act, in respect of the activities carried on by the Company.
- (vii) In respect of statutory dues:
- (a) According to the records of the company and information and explanations given to us, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, employees state insurance (ESI), Investor Education and Protection Fund, Income-tax, Tax deducted at sources, Tax collected at source, Professional Tax, Sales Tax, value added tax (VAT), Wealth Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it, with the appropriate authorities.

- (ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2015 को निर्विवाद बकाया देय राशि, आयकर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकाया राशि संबंध में देय नहीं था। देय तारीख से छह महीने से अधिक की अविध में देय था।
- (स) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वहाँ कोई भी राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए कंपनी द्वारा स्थांतरित किए जाने की आवश्यक नहीं है।

(अपपप) कंपनी चालू वित्त वर्ष के अंत में कोई भी हानि नहीं है। कंपनी को हमारे लेखा परीक्षा के वित्तीय आवृति के दौरान किसी प्रकार का नकद नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। हालाँकि हाल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 2,61,066/— रुपये का नकद नुकसान हुआ है।

- (प•) हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों और ऋण–पत्र धारकों के लिए देय राशि की अदायगी में चूक नहीं की है।
- (•) हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तिय वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों या बैक से ऋण लेने की गारंटी नहीं दी है।
- (•प) कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए ऋण प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आदेश का यह पैरा लागू नहीं है।
- (•पप) हमारे संज्ञान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी पर कोई भी धोखाधड़ी का मामला नहीं है वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी प्रकार का नोटिस या रिपोर्ट नहीं है।

सारिया गुप्ता – कं. के लिए

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीयन संख्या.: 003168N)

सुमित गुप्ता

पार्टनर

(सदस्यता संख्या.: 513321)

स्थान :नई दिल्ली दिनांक: 30.09.2015

- (b) According to the information and explanations given to us, there were no undisputed amounts payable in respect of Income-tax, Wealth Tax, Custom Duty, Excise Duty, sales tax, VAT, Cess and other material statutory dues in arrears /were outstanding as at 31 March, 2015 for a period of more than six months from the date they became payable.
- © According to the information and explanations given to us, there were no amounts which required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund.
- (viii) The company does not have any accumulated losses at the end of financial year. The company has not incurred any Cash losses during the financial covered by our Audit, however it has incurred a cash loss of Rs. 2,61,066/- in the immediately preceding financial year.
- (ix) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in the repayment of dues to financial institutions, banks and debenture holders.
- (x) In our opinion, and according to the information and the explanation given to us, the company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions during the year;
- (xi) The company has not obtained any term loan during the year, so this para of order is not applicable.
- (xii) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company and no material fraud on the Company has been noticed or reported during the year.

For Saria Gupta & Co Chartered Accountants (Firm Registration No. :003168N)

sd/-

Sumit Gupta Partner

(Membership No.: 513321)

Place: New Delhi Date: 30.09.2015

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए

ख कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कम्पनी विनियम 2014 के नियम 9 (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) के अनुसार

सेवा में,

सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड नई दिल्ली

- 1. हमने के प्रावधानों ६ धाराओं के तहत 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए एम ६ एस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (ष्कंपनीष) के रजिस्टर, अभिलेख और दस्तावेजों की की है:
- i. कंपनी अधिनियम, 1956 और (विस्तार से लागू करने के लिए) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमय
- ii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम लागू नहीं होता हैय
- ii. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रवासी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधार की राशियाँ उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियमः लागू नहीं
- iv. भारत विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित प्रतिभूति और दिशा निर्देश, लागू नही
- (अ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2011 (शेयर और अधिग्रहण के पर्याप्त अधिग्रहण)
- (ब) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 1992 (अंतरंगी लेनदेन का निषेध)
- (स) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विनियम, 2009 (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम)
- (द) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 1999 (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी शेयर खरीद योजना) के दिशा निर्देश
- (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2008 (वितरण और ऋण प्रतिभूतियों की सूची)
- (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ काम के संबंध में (निर्गमन और शेयर स्थानांतरण एजेंट के लिए पंजीयक)
- (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियय बोर्ड विनियम, 2009 (इक्विटी शेयरों को बाजार से हटना)
- (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 1998 (प्रतिभूति की पुनर्खरीद)

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For the Financial Year ended on March 31, 2015

[Pursuant to Section 204 (1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members

National Capital Region Transport Corporation Limited

New Delhi

- 1. We have examined the registers, records and documents of M/s National Capital Region Transport Corporation Limited ("The Company") for the Financial Year ended on 31st March, 2015 according to the provisions / clauses of:
- i. The Companies Act, 1956 & the Companies Act, 2013 (to the extent applicable) and the Rules made thereunder;
- ii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye Laws framed thereunder; not applicable
- iii. The provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings: Not Applicable
- iv. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): Not Applicable
- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements), Regulations, 2009
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents)
 Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998

निम्नलिखित का अनुपालन आवश्यक नहीं है रू

- (क) भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक (आईसीएसआई) भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों समीक्षाधीन अवधि के दौरान अनिवार्य नहीं बनया गया है।
- स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा दर्ज सूचीबद्ध कराररू लागू नहीं
- हमें प्रदान किये गये उत्पादन रिकॉर्ड ६ दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर, कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और हमारे द्वारा किए गए परीक्षण की जांच, हमरा राय में, ज्ञापन और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियमों और प्रावधानों (विस्तार से लागू करने के लिए) का पालन किया गया है।
- विभिन्न वैधानिक रजिस्टरों और दस्तावेजों और उसमें आवश्यक प्रविष्टियां बनाने के लिए रखरखावय
- अनुबंध, सामान्य मुद्रा, पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के नाम का प्रकाशनय
- निर्धारित समय के भीतर इसके तहत बनाए गए अधिनियम और नियमों के तहत दिल्ली और हरियाणा के पंजीयक और केंद्र सरकार के कंपनियों का यदि कोई माँग पत्र, उत्तपन प्रतिलाभ और अन्य दस्तावेज हो तो दाखिल करेंय
- अपने सदस्यों और लेखा परीक्षकों को कंपनी द्वारा दस्तावेजों की सेवाय
- परिसंचरण द्वारा प्रस्तावों के पारित किए जाने के लिए निदेशकों और निदेशक समितियों की बैठकों में का आयोजन करनाय
- 30 दिसंबर 2014 को कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक को आयोजित करनाय ख.
- आम बैठक और बोर्ड की बैठकों की कार्यवाही के मिनट को बोर्ड समितियों ठीक से खुले पन्ने पर अभिलेखित करे और जिसे नियमित अंतराल पर एक पुस्तक के रूप दिया जाय।
- लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिकय
- शोयर का निर्गमन और हस्तांतरणय 핍.
- कम्पनी के निधियों का निवेशय
- बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और खुलासे के बयान के रूप अधिनियम अनुसूची टप् के अनुसार संशोधित किए खाते के लाभ हानि का विवरण, बैलेंस शीट का फार्म का उसमें विवरण होना चाहिए।
- अधिनियम के अन्य सभी लागू होने वाले प्रावधान और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम।
- कम्पनी ने किसी प्रकार की गतिविधि को शुरु नहीं किया है, फिर भी हम स्पष्ट करते हैं किय कंपनी में निदेशकों से संबंधित हितधारकों के गैर कार्यकारी और हितधारकों से संबंधित निदेशकों को नामित कर शामिल करता है, निदेशकों के हित में सामान्य विवरण के माध्यम से उनकी हित में विवरण

The compliances of the following were not required:

- (i) Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India Since the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) have not become mandatory during the period under review.
- (ii) The Listing Agreement entered into by the Company with the Stock Exchanges: Not Applicable
- 2. Based on the verification of records / documents produced to us, the information furnished to us by the Company and the test check carried out by us, we are of the opinion that the Company has complied with the provisions of the Companies Act, 1956 and the Companies Act, 2013 and the Rules made there under (to the extent applicable) and the Memorandum and Articles of Association of the Company with regard to:
- a. maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;
- b. contracts, common seal, registered office and publication of name of the Company;
- c. filing of the requisite forms, returns and other documents with the Registrar of Companies, Delhi and Haryana and the Central Government, if any, within the time prescribed under the Act and rules made there under;
- d. service of documents by the Company on its Members and Auditors;
- e. convening and holding of the meetings of Directors and Committees of Directors, including passing of the resolutions by circulation;
- f. convening and holding of the 1st Annual General Meeting of the Company on 30th December, 2014;
- g. minutes of the proceedings of General Meeting and Board Meetings were in a binded book and Board Committees were properly recorded in loose leaf form, which are being bound in a book form at regular intervals;
- h. appointment and remuneration of Auditors;
- i. issue & transfer of Shares;
- j. investment of the Company's Funds;
- k. form of Balance Sheet, statement of Profit & Loss Account and disclosures to be made therein as per the revised Schedule VI to the Act;
- 1. all other applicable provisions of the Act and the Rules made thereunder that Act.
- 3. The Company has not initiated any activity, yet we state that;
- a. The Directors in the Company comprises of Non executive and Nominee Directors of concerned stakeholders, yet have disclosed their interest and concerns by way of general disclosure of Directors interest which has been noted and recorded by the Board;

4_____

को अभिलेखित किया गया है।

- इ. निर्देशकों को उनके नियुक्तियों के संबंध में विवरण को आवश्यकता के अनुरुप पालन किया है
- ब. समीक्षाधीन अवधि में 11.08.2014 को बोर्ड की बैठक आयोजित किया गया था। (दूसरी बैठक) और 20.09.2013 को बोर्ड की (तीसरी बैठक) पहली बैठक बुलाई गई थी। पहली और दूसरी बैठक का अंतराल वैधानिक सीमा से अधिक हो गई है।
- क. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोनों की मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं थाय
- म. वहाँ कोई भी अभियोजन शुरू नहीं हुआ था और कंपनी, अपने निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ अधिनियम ६ कंपनी अधिनियम, नियम, विनियम और दिशा निर्देशों के तहत समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जुर्माना या दंड लगाया गया था।
- 4. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी लेखा परीक्षा के दौरान निष्क्रिय थी। इसलिए विशिष्ट विशेष प्रकृति के लेन—देन का वारंटी के साथ अनुपालन कोई बड़ी रणनीतिक कार्रवाई (कंपनी की कार्रवाई से निकलती है या अन्यथा), नहीं है।
- 5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कम्पनी ने आमतौर पर सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया है।

एस पी जे – कं. के लिए कम्पनी सचिव

अधोहस्ताक्षरी

(सीएस जतीन गुप्ता)

पार्टनर, **CP No-** 5236

FCS : 5651

दिनांक : 20.09.2015 स्थान : नई दिल्ली

खंडन : यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204, लागू प्रावधानों के अनुसार सिचवीय लेखा परीक्षा को बाहर ले जाना आवश्यक है। इसे लागू नियमों के साथ पढ़ा जाय और उसी के अनुसार हासिल किया गया है। इसलिए उसी के अनुसार निर्माण कर व्याख्या करना चाहिए।

_55

	Г

- b. The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their appointments;
- c. The board meetings in the period under review were held on 11.08.2014 (2nd Meeting) and 11.12.2014 (3rd Meeting), with 1st board meeting convened on 20.09.2013, the gap between 1st and 2nd board meeting therefore exceeded statutory limit;
- d. The Company was not required to obtain approvals under either of provisions of the Act;
- e. There was no prosecution initiated and no fines or penalties were imposed during the year under review under the Companies Act, Rules, Regulation and Guidelines framed under the Act against/ on the Company, its Directors and Officers.
- 4. We further report that during the audit period the Company was inoperative, hence no major strategic action warranting compliance of specific/special nature transactions (originating either on Company's action or otherwise) was required to be undertaken.
- 5. We further report that:

The Company has generally complied with all the mandatory requirements.

For S P J & Co. Company Secretaries

Sd/-

(CS Jatin Gupta) Partner, CP No. 5236

FCS: 5651 Date: 20.09.2015 Place: New Delhi

Disclaimer: This is Secretarial Audit as required to be carried out pursuant to provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013, read with applicable rules, and has been carried accordingly, hence must be construed and interpreted accordingly.

-56



संख्या / PDCA-I/ND/CHQ/29-34/2015-16/SSS

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग, कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदसय, लेखापरीक्षा बोर्ड-1

दिनाँक/ 08-10-2015

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड (MoUD), कोर-1V बी, पहली मंजिल, इंडिया हैबिटेट सैन्टर, नई दिल्ली -110003

विषयः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी)के अधीन 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रान्सपोर्ट कार्पोशन लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

इस पत्र के साथ नेशनल कैपिटल रीजन ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ए) के अर्न्तगत समीक्षा नहीं किये जाने का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाता हैं। कृपया इस पत्र की पावती भेंजे।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्त

(विमलेन्द्र पटवर्धन) प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-रकन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

The preparation of financial statements of NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED for the year ended 31st March, 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financials statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 30th September, 2015.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED for the year ended 31st March 2015 and as such have no comments to make under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of

India

Place: New Delhi (Vimlendra Patwardhan)

Date: 8th October, 2015 Principal Director of Commercial Audit

& Ex-Officio Member, Audit Board - I, New Delhi

-58

